खंडों पर टिप्पण

आय-कर

विधेयक की पहली अनुसूची के साथ पठित खंड (2), वे दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए है, जिन पर, आय-कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 के लिए कर से प्रभार्य आय पर उद्गृहीत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस खंड में वे दरें भी दी गई हैं जिन पर वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान ऐसी आय से, स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी जो आय-कर अधिनियम के अनुसार ऐसी कटौती के अधीन है। इसी में वे दरें भी दी गई हैं जिन पर वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए "अग्रिम कर" का संदाय किया जाएगा, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी और विशेष दशाओं में कर का परिकलन किया जाएगा और कर प्रभारित किया जाएगा।

निर्धारण वर्ष 2001-2002 के लिए आय-कर की दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 1, आय-कर की वे दरें विनिर्दिष्ट करता है जिन पर आय निर्धारण वर्ष 2001-2002 के लिए कर के दायित्वाधीन है। ये वे दरें हैं, जो वित्त अधिनियम, 2000 की पहली अनुसूची के भाग 3 में, वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने, "अग्रिम कर" की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए, विनिर्दिष्ट की गई थीं।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान "वेतन" से भिन्न आय से स्रोत पर कर की कटौती की दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 2, वे दरें विनिर्दिष्ट करता है, जिन पर, "वेतन" से भिन्न आय से, वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती की जाएगी। मोटे तौर पर ये वे दरें हैं जो वित्त अधिनियम, 2000 की पहली अनुसूची के भाग 2 में, वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट की गई थीं। तथापि, लाटरी और वर्ग पहली से जीत के रूप में आय और घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर कटौती की जाने वाली कर की दरें चालीस प्रतिशत से घटाकर तीस प्रतिशत कर दी गई हैं। ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेलों से जीत के रूप में आय पर कर की तीस प्रतिशत की दर से स्रोत पर कटौती की जाएगी। इस प्रकार कटौती की गई कर की रकम में ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, किसी विदेशी कंपनी की दशा में के सिवाय बढ़ा दिया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने, "अग्रिम कर" की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के लिए दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 3, वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए वे दरें, जिन पर "वेतन" से स्रोत पर आय-कर की कटौती की जाएगी और वे दरें भी, जिन पर "अग्रिम कर" का संदाय किया जाएगा और विशेष दशाओं में आय-कर परिकलित या प्रभारित किया जाएगा, विनिर्दिष्ट करता है।

इस भाग के पैरा क में, प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या प्रत्येक व्यक्ति संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है जिसमें भाग 3 का कोई अन्य पैरा लागू होता है, आय-कर की दरें, विनिर्दिष्ट की गई हैं। दर संरचना में कोई अन्य परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।

इस भाग के पैरा ख में, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट की गई हैं। ऐसी दशाओं में, कर की दरें, वे ही बनी रहेंगी जो निर्धारण वर्ष 2001-2002 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं। सिवाय ऐसी सहकारी सोसाइटियों के, जिनकी आय तीस हजार रुपए से अधिक है, जहां संदेय कर, तीन हजार रुपए **धन** ऐसी रकम का, जिससे कुल आय बीस हजार रुपए से अधिक है, तीस प्रतिशत होगा।

इस भाग के पैरा ग में, प्रत्येक फर्म की दशा में, आय-कर की दर विनिर्दिष्ट की गई है। ऐसी दशाओं में, कर की दर वही बनी रहेगी जो निर्धारण वर्ष 2001-2002 के लिए विनिर्दिष्ट की गई है।

इस भाग के पैरा घ में, प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, आय-कर की दर विनिर्दिष्ट की गई है। ऐसी दशाओं में, कर की दर वही बनी रहेगी जो निर्धारण वर्ष 2001-2002 के लिए विनिर्दिष्ट की गई है।

इस भाग के पैरा ङ में, कंपनियों की दशा में, आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट की गई हैं। ऐसी दशाओं में, कर की दरें वही बनी रहेंगी जो निर्धारण वर्ष 2001-2002 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं। देशी कंपनियों की दशा में कर की दर पैंतीस प्रतिशत बनी रहेगी और विदेशी कंपनियों की दशा में यह अड़तालीस प्रतिशत होगी।

ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम या व्यष्टि-निकाय है, जिसकी आय साठ हजार रुपए से अधिक है और जहां आय-कर की कटौती स्रोत पर की जानी है या "अग्रिम कर" इस भाग के उपबंधों के अनुसार संदेय है, वहां आय-कर की ऐसी रकम में अध्याय 8क के अधीन रिबेट अनुज्ञात करने के पश्चात्, संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार से वृद्धि की जाएगी।

प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, सहकारी सोसाइटी, फर्म, स्थानीय प्राधिकारी या देशी कंपनी की दशा में, जहां आय-कर की संगणना इस भाग के उपबंधों के अनुसार की जानी है वहां आय-कर की ऐसी रकम में संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार से वृद्धि की जाएगी।

खंड 3, परिभाषाओं से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है।

उपखंड (क) एक नया उपखंड (12क) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि यह परिभाषित किया जा सके कि "बही या लेखा पुस्तक" के अंतर्गत खाता, दैनिक बही, रोकड़ बही, लेखा बही, और अन्य बही हैं, चाहे वे लिखित रूप में या किसी फ्लापी, डिस्क, टैप में संगृहीत डाटा के प्रिन्ट आऊट के रूप में या इलेक्ट्रो-चुम्बकीय डाटा भंडारण युक्ति के किसी अन्य प्ररूप में रखी जाएं।

उपखंड (ख) एक नया उपखंड (22कक) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि यह परिभाषित किया जा सके कि "दस्तावेज" के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (न) में यथा परिभाषित इलैक्ट्रानिक अभिलेख है।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

आय-कर अधिनियम की विद्यमान धारा 194ख में, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी लाटरी से जीत के रूप में आय पर स्रोत पर प्रवृत्त दरों से आय-कर की कटौती का उपबंध किया गया है। यह प्रस्ताव है कि विधेयक के खंड 65 द्वारा उक्त धारा 194ख का संशोधन किया जाए जिससे कि ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर स्रोत पर आय-कर की कटौती का उपबंध किया जा सके। आय-कर अधिनियम की धारा 115खख में उस दर का उपबंध है जिस पर आय-कर किसी लाटरी या ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर संदेय होगा। धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (ix) में "आय" पद, अन्य बातों के साथ-साथ, लाटरी या ताश के खेलों और किसी प्रकार के अन्य खेलों से किसी जीत को सम्मिलित करने के लिए परिभाषित है।

उपखंड (ग) उक्त उपखंड (ix) में एक स्पष्टीकरण "लाटरी" पद को परिभाषित करने के लिए अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि किसी भी नाम से ज्ञात किसी स्कीम या व्यवस्था के अधीन लाट निकाल कर या संयोग से या किसी भी अन्य रीति से, किसी व्यक्ति को प्रदान किए गए इनामों से जीत को और "ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल" पद को परिभाषित करने के लिए है जिससे कि टेलीविजन या इलेक्ट्रानिक माध्यम पर ऐसे किसी खेल प्रदर्शन, किसी मनोरंजन कार्यक्रम, जिसमें लोग इनाम जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, या किसी अन्य समरूप खेल को सम्मिलित किया जा सके।

खंड (घ), खंड 34 से खंड 36 और खंड 43 द्वारा प्रस्तावित संशोधनों में प्रयुक्त "बीमाकर्ता" पद को परिभाषित करने के लिए है। बीमाकर्ता से ऐसी कोई भारतीय बीमा कंपनी अभिप्रेत है, जिसे बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 4, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी गई आय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (vi) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, संदेय स्वामिस्व के रूप में आय, उस खंड में विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी जाएगी। "स्वामिस्व" पद को इस खंड के स्पष्टीकरण 2 में परिभाषित किया गया है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त स्पष्टीकरण की परिधि के अंतर्गत किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपस्कर के उपयोग या उपयोग करने के अधिकार को सम्मिलित किया जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 5, आय जो कुल आय के अंतर्गत नहीं आती है से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है।

खंड (10ग) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, पब्लिक सेक्टर कंपनी या किसी अन्य कंपनी या किसी केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम के अधीन स्थापित किसी प्राधिकरण या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी सहकारी सोसाइटी या किसी विश्वविद्यालय या किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या किसी अधिसूचित प्रबंध संस्थान के किसी कर्मचारी द्वारा अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या स्वैच्छया सेवानिवृत्ति की किसी स्कीम या स्कीमों के अनुसार अपनी सेवा की समाप्ति के समय, या किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी की दशा में, स्वैच्छया पृथक्करण की स्कीम के अनुसार प्राप्त कोई रकम, उस मात्रा तक जो पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है, उसकी कुल आय की संगणना के अंतर्गत नहीं आती है।

उपखंड (क) में यह प्रस्ताव है कि छूट की परिधि को किसी राज्य सरकार के कर्मचारी तक उसका विस्तार करके बढ़ाया जाए। किसी राज्य सरकार की स्वैच्छया सेवानिवृत्ति की स्कीम या स्कीमों के अधीन कर्मचारियों द्वारा प्राप्त रकम प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, 1 अप्रैल, 2001 से छूट प्राप्त होगी।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप में 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2001-2002 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

इस उपखंड में यह भी प्रस्ताव है कि छूट की परिधि को केंद्रीय सरकार के किसी कर्मचारी तक उसका विस्तार करके बढ़ाया जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उपखंड (ख) मद को प्रतिस्थापित करने और खंड (15) के उपखंड (iv) की मद (ख), मद (ग), मद (घ), मद (ङ) और मद (च) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य वित्तीय संस्था या किसी बैंककारी कंपनी द्वारा अथवा उन मदों में विनिर्दिष्ट कतिपय सरकारी कंपनियों द्वारा, 1 जून, 2001 से पूर्व उधार ली गई किसी धनराशि या अनुमोदित करार के अधीन उधार ली गई घनराशि पर ब्याज कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

इस उपखंड में यह भी प्रस्ताव है कि स्पष्टीकरण 1क को प्रतिस्थापित किया जाए जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि "ब्याज" पद के अंतर्गत ऋण के विलंबित संदाय पर या व्यतिक्रम पर संदत्त कोई ब्याज होगा यदि वह ऐसे ऋण के निबंधनानुसार संदेय ब्याज की दर से दो प्रतिशत प्रति वर्ष अधिक है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड (23ककख) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 1 अक्तूबर, 1996 को या उसके पश्चात् किसी पेंशन स्कीम के अधीन स्थापित किसी निधि की कोई आय, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा अभिदाय किया जाता है और जो बीमा नियंत्रक द्वारा अनुमोदित है, आय कर से छूट प्राप्त है।

उपखंड (ग) यह उपबंध करने के लिए है कि किसी ऐसे अन्य बीमाकर्ता द्वारा, जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है, स्थापित किसी निधि की आय भी छूट के लिए पात्र होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उपखंड (घ) एक नया खंड (23खखघ) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन एएसओएआई के रूप में रजिस्ट्रीकृत सेक्रेटेरिएट ऑफ एसियन आरगानाईजेशन आफ द सुप्रीम आडिट इंस्टिट्यूशन की, 1 अप्रैल, 2001 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत तीन पूर्ववर्षों के लिए किसी आय को छूट दी जा सके।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप में, 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2001-2002, 2002-2003 तथा 2003-2004 के संबंध में लागू होगा।

विद्यमान उपबंध के अधीन, धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था या उपखंड (v) में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था या उपखंड (iv) और उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्थाओं की आय उक्त उपखंडों के अधीन छूट प्राप्त नहीं है जब तक कि आय का उन उद्देश्यों के लिए जिनके लिए निधि आदि की स्थापना की जाती है, पूर्ण रूप से और आत्यंतिक रूप से उपयोग या संचयन नहीं किया जाता है। इस समय, ऐसी आय के संचयन के लिए किसी अधिकतम समय का उपबंध नहीं किया गया है।

उपखंड (ङ) यह उपबंध करने के लिए है कि 1 अप्रैल, 2001 के पश्चात्, यदि किसी निधि, न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की किसी आय का उन उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया है जिनके लिए निधि आदि की स्थापना की गई है और ऐसी आय का संचयन किया गया है तो ऐसे संचयन की अधिकतम अवधि केवल पांच वर्ष तक सीमित होगी।

इस उपखंड में और प्रस्ताव है कि इस खंड के तीसरे परंतुक का संशोधन किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी लोक कंपनी के साधारण शेयरों जिनके अंतर्गत उन पर बोनस शेयर भी हैं, के रूप में और 1 जून, 1998 के पूर्व उनकी संपत्ति के भागरूप, कोई आस्ति धारित करने वाली उपखंड (vi) और उपखंड (viक) में निर्दिष्ट शैक्षिक और चिकित्सीय संस्थाओं को छूट से इन्कार नहीं किया जाएगा यद्यपि इनका आय-कर अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट आस्तियों में विनिधान नहीं किया गया है।

यह उपखंड आठवें परंतुक के पश्चात् एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी संस्था या न्यास, जिसकी दस लाख से अधिक कुल प्राप्तियां है, या ऐसा विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था, जिसकी एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल प्राप्तियां हैं, किसी स्थानीय समाचारपत्र में अपने लेखे प्रकाशित करेगी और खंड (23ग) में विहित आवेदन के साथ ऐसे समाचारपत्र की एक प्रति देगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड (23चख) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, किसी जोखिम पूंजी उपक्रम में विनिधान के लिए निधियां जुटाने के लिए स्थापित किसी जोखिम पूंजी कंपनी या किसी जोखिम पूंजी निधि की कोई आय पूर्ववर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं है। इस खंड के स्पष्टीकरण के अनुसार, "जोखिम पूंजी उपक्रम" से ऐसी देशी कंपनी अभिप्रेत है जिसके शेयर भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं। यदि ऐसे जोखिम पूंजी उपक्रम के शेयरों को बाद में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करा लिया जाता है और यदि आरंभिक विनिधान बना रहता है तो जोखिम पूंजी कंपनी और जोखिम पूंजी निधि इस स्पष्टीकरण के आधार पर छूट को खो सकती हैं।

उपखंड (च), खंड (23चख) में यह स्पष्ट करने के लिए एक अन्य स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने के लिए है कि किसी जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि की आय पर छूट बनी रहेगी यद्यपि उस जोखिम पूंजी उपक्रम के, जिसमें जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि ने आरंभिक विनिधान किया है, शेयर बाद में भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाते हैं।

"जोखिम पूंजी निधि" को खंड (23चख) में ऐसी निधि के रूप में परिभाषित किया गया है जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास विलेख के अधीन चलाई जा रही है। यह स्पष्ट करने के लिए भी प्रस्ताव है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा बनाई गई किसी जोखिम पूंजी स्कीम के रूप में चलाई जा रही निधि उक्त खंड की परिधि के भीतर होगी।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप में 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2001-2002 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

उपखंड (छ), खंड (23छ) का संशोधन करने के लिए है। इस खंड में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी ऐसे उद्यम में, जो किसी अवसंरचना सुविधा का (i) विकास करने, (ii) अनुरक्षण और प्रचालन करने, या (iii) विकास, अनुरक्षण और प्रचालन करने के कारबार में पूर्णतः लगा हुआ है और जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, शेयरों या दीर्घकालिक वित्त के रूप में किए गए विनिधानों से किसी अवसंरचना पूंजी निधि या अवसंरचना पूंजी कंपनी की, धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न लाभांशों के रूप में कोई आय, ब्याज या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ को छूट प्राप्त है। यह प्रस्ताव है कि छूट की परिधि को सहकारी बैंकों तक भी इसका विस्तार करके बढ़ाया जाए।

यह उपखंड यह उपबंध करने के लिए भी है कि किसी ऐसे उद्यम या उपक्रम में, जो धारा 80झक की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कारबार में लगा हुआ है, किसी अवसंरचना पूंजी निधि या अवसंरचना पूंजी कंपनी की, धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न लाभांशों के रूप में कोई आय, ब्याज या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे।

यह उपखंड स्पष्टीकरण के खंड (ग) का लोप करने के लिए भी है और उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए "सहकारी बैंक" और "ब्याज" पदों को सम्मिलित और परिभाषित करने के लिए है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड (33) के उपखंड (ii) और उपखंड (iii) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय यूनिट ट्रस्ट से यूनिटों या पारस्परिक निधि की यूनिटों की बाबत प्राप्त आय के रूप में कोई आय कुल आय की संगणना करते समय सम्मिलित नहीं की जाती है।

उपखंड (ज) उक्त खंड 33 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह स्पष्ट किया जा सके कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक निधि से भिन्न व्यक्तियों को ऐसे यूनिटों के अंतरण पर भारतीय यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक निधि के यूनिटों की बाबत प्राप्त आय को छूट प्राप्त नहीं होगी।

यह संशोधन, भूतलक्षी रूप में 1 अप्रैल, 2000 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2000-2001 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 6, मुक्त व्यापार क्षेत्र आदि में नए स्थापित उपक्रमों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 10क का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी ऐसे उपक्रम से, जिसको यह धारा लागू होती है, किसी निर्धारिती द्वारा व्युत्पन्न कोई लाभ और अभिलाभ, उस पूर्ववर्ष से, जिसमें उपक्रम ऐसी वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन करना आरंभ करता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होने वाले दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की बाबत निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित नहीं होंगे।

उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में यह उपबंध है कि जहां किसी मुक्त व्यापार क्षेत्र या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में आरंभिक रूप में अवस्थित कोई उपक्रम ऐसे मुक्त व्यापार क्षेत्र या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में संपरिवर्तन के कारण बाद में किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित हो जाता है, वहां दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की उक्त अवधि की गणना उस पूर्ववर्ष से, जिसमें ऐसा उपक्रम ऐसे मुक्त व्यापार क्षेत्र या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में पहले स्थापित हुआ था, सुसंगत निर्धारण वर्ष से की जाएगी।

उपखंड (क) की मद (i), उपधारा (1) के दूसरे परंतुक का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की ऐसी अवधि की गणना उस निर्धारण वर्ष से, जिसमें ऐसे उपक्रम ने ऐसी वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर का मुक्त व्यापार क्षेत्र या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में विनिर्माण या उत्पादन करना प्रारंभ किया था, की जाएगी।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप में 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2001-2002 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उपधारा (1) के तीसरे परंतुक में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, ऐसी वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के ऐसे घरेलू विक्रय से, जो ऐसे उपक्रम के कुल विक्रय के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं है, व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ समझे जाएंगे।

उपखंड (क) की मद (ii) तीसरे परंतुक का लोप करने के लिए है जिससे कि ऐसी वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ में सम्मिलित ऐसे घरेलू विक्रय से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ को अनुज्ञात न किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उपधारा (4) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ, वह रकम होगी, जो कारबार के लाभों के उसी अनुपात में है जो ऐसी वस्तुओं या चीजों या कंम्यूटर साफ्टवेयर की बाबत निर्यात आवर्त का निर्धारिती द्वारा किए गए कारबार के कुल आवर्त से है।

उपखंड (ख) यह स्पष्ट करने के लिए है कि ऐसे अनुपातों का परिकलन उपक्रम के कारबार से, न कि निर्धारिती द्वारा किए गए किसी अन्य कारबार से लाभ और अभिलाभ के संदर्भ में किया जाएगा।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप में 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2001-2002 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उपखंड (ग) की मद (i) उक्त धारा के स्पष्टीकरण 1 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह स्पष्ट किया जा सके कि स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट कंपनी, वह कंपनी होगी, जिसमें जनता सारभूत रूप से हितबद्ध नहीं है। उस कंपनी को, जिसमें जनता सारभूत रूप से हितबद्ध है, आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (18) में परिभाषित किया गया है।

उपखंड (ग) की मद (ii), उक्त उपधारा के स्पष्टीकरण 2 के खंड (iv) का यह स्पष्ट करने के लिए संशोधन करने के लिए है कि लाभ की संगणना के लिए, "निर्यात आवर्त" उपक्रम के लाभ से संबंधित होगा न कि संपूर्ण कारबार से।

उपखंड (ग) की मद (iii) पूर्वोक्त उपधारा में स्पष्टीकरण 3 यह स्पष्ट करने के लिए अंतःस्थापित करने के लिए है कि भारत के बाहर कंप्यूटर साफ्टवेयर के स्थल पर विकास से (जिसके अंतर्गत साफ्टवेयर के विकास के लिए सेवाएं भी हैं) व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ भारत के बाहर कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ समझे जाएंगे।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप में 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2001-2002 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 7, नव स्थापित शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 10ख का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, किसी ऐसे शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम से, जिसको यह धारा लागू होती है, किसी निर्धारिती द्वारा व्युत्पन्न कोई लाभ और अभिलाभ उस पूर्ववर्ष से, जिसमें उपक्रम ऐसी वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन करना आरंभ करता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होने वाले दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित नहीं होंगे।

उक्त उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के ऐसे घरेलू विक्रय से, जो ऐसे उपक्रम के कुल विक्रय के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं है, व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ ऐसी वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ समझे जाएंगे।

उपखंड (क) दूसरे परंतुक का लोप करने के लिए है जिससे कि ऐसी वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ में सम्मिलित ऐसे घरेलू विक्रय से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ को अनुज्ञात न किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा की उपधारा (4) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ वह रकम होगा जो कारबार के लाभों के उसी अनुपात में है, जो ऐसी वस्तुओं या चीजों या कंम्यूटर साफ्टवेयर की बाबत निर्यात आवर्त का निर्धारिती द्वारा किए गए कारबार के कुल आवर्त से है।

उपखंड (ख) यह स्पष्ट करने के लिए है कि ऐसे अनुपात का परिकलन उपक्रम के कारबार से, न कि निर्धारिती द्वारा किए गए किसी अन्य कारबार से लाभ और अभिलाभ के संदर्भ में किया जाएगा।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप में 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2001-2002 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उपखंड (ग) की मद (i) पूर्वोक्त धारा के स्पष्टीकरण 1 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह स्पष्ट किया जा सके कि उक्त स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट कंपनी, वह कंपनी होगी जिसमें जनता सारभूत रूप से हितबद्ध नहीं है। उस कंपनी को, जिसमें जनता सारभूत रूप से हितबद्ध है, आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (18) में परिभाषित किया गया है।

उपखंड (ग) की मद (ii) उक्त उपधारा (4) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (iii) का यह स्पष्ट करने के लिए संशोधन करने के लिए है कि लाभ की संगणना के लिए, "निर्यात आवर्त" उपक्रम के लाभ से संबंधित होगा न कि संपूर्ण कारबार से।

उपखंड (ग) की मद (iii) पूर्वोक्त धारा में स्पष्टीकरण 3 यह स्पष्ट करने के लिए अंतःस्थापित करने के लिए है कि भारत के बाहर कंप्यूटर साफ्टवेयर के स्थल पर विकास से (जिसके अंतर्गत साफ्टवेयर के विकास के लिए सेवाएं भी हैं) व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ भारत के बाहर कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ समझे जाएंगे।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप में 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2001-2002 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 8, कतिपय मामलों में कंप्यूटर कार्यक्रम के अर्थ से संबंधित आय-कर अधिनियम की नई धारा 10खख को अंतःस्थापित करने के लिए है।

यह प्रस्ताव है कि एक नई धारा अंतःस्थापित की जाए जिससे कि यह स्पष्ट किया जा सके कि किसी उपक्रम द्वारा धारा 10ख, जैसी वह वित्त अधिनियम, 2000 की धारा 7 द्वारा इसके प्रतिस्थापन से पूर्व थी, के अधीन कंप्यूटर कार्यक्रमों के निर्माण से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो उस धारा में "कंप्यूटर कार्यक्रम" शब्दों के स्थान पर, "कंप्यूटर कार्यक्रम या इलैक्ट्रानिक डाटा का प्रसंस्करण या प्रबंधन" शब्द रखे गए हों।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप में 1 अप्रैल, 1994 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 1994-1995 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 9, पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए धारित संपत्ति से आय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 11 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, यदि पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए धारित संपत्ति से व्युत्पन्न आय के पचहत्तर प्रतिशत का, ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है तो उपयोग न किया गया भाग ऐसे प्रयोजनों के लिए दस वर्ष की अवधि के लिए उपयोजन के लिए संचित किए जाने या अलग रखे जाने के लिए अनुज्ञात है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा का संशोधन किया जाए जिससे कि 1 अप्रैल, 2001 के पश्चात् संचित आय की बाबत संचयन की अवधि को दस वर्ष से घटाकर पांच वर्ष कर दिया जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 10, न्यास, आदि के रजिस्ट्रीकरण के बारे में शर्तों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 12क का संशोधन करने के लिए है।

धारा 12क में यह उपबंध है कि रजिस्ट्रीकरण और उसके लेखाओं की लेखापरीक्षा की दोनों शर्तों को किसी न्यास या संस्थाओं द्वारा धारा 11 और धारा 12 के अधीन छूट का दावा करने से पूर्व पूरा किया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव है कि दो और शर्तें जोड़ दी जाएं जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 11 और धारा 12 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना आय-कर अधिनियम के अधीन यथासंगणित न्यास या संस्था की कुल आय, किसी पूर्ववर्ष में दस लाख रुपए से अधिक हो जाती है वहां, यथास्थिति, न्यास या संस्था अपने लेखे किसी समाचारपत्र में प्रकाशित करेगी और अपनी विवरणी के साथ ऐसे समाचारपत्र की एक प्रति देगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 11, कुल आय में सम्मिलित न किए जाने योग्य आय के संबंध में उपगत व्यय से संबंधित आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 14क अंतःस्थापित करने के लिए है।

नई धारा यह उपबंध करने के लिए है कि ऐसी आय के संबंध में, जो इस अधिनियम के अधीन कुल आय का भाग रूप नहीं है, निर्धारिती द्वारा उपगत व्यय की बाबत कोई कटौती नहीं की जाएगी।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप में 1 अप्रैल, 1962 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 1962-1963 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 12, वेतन में से कटौतियों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 16 का संशोधन करने के लिए है।

खंड (ii) के उपखंड (क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, किसी ऐसे निर्धारिती को, जो सरकार से वेतन प्राप्त करता है, सत्कार भत्ते की कटौती अनुज्ञात है। ऐसी दशाओं में अनुज्ञेय कटौती वेतन के पंचमांश के बराबर राशि या पांच हजार रुपए, इनमें से जो भी कम हो, है। खंड (ii) का उपखंड (ख) अन्य निर्धारितियों की दशा में, जो अपने वर्तमान नियोजक से 1 अप्रैल, 1955 से पूर्व की किसी तारीख से नियमित रूप से ऐसा सत्कार भत्ता लगातार प्राप्त करता है, वैसी ही कटौती का उपबंध करता है। ऐसी दशाओं में कटौती को ऐसे नियोजक से 1 अप्रैल, 1955 से पूर्व प्राप्त सत्कार भत्ते या वेतन के पंचमांश के बराबर राशि या सात हजार पांच सौ रुपए तक, इनमें से जो भी कम हो, निर्बंधित किया गया है।

यह प्रस्ताव है कि सरकार में नियोजित उन व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों के लिए उपखंड (ख) में उपबंधित सत्कार भत्ते की कटौती बंद करने के लिए उक्त खंड (ii) को हटा दिया जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 13, "वेतन", "परिलब्धि" और "वेतन के बदले में लाभ" की परिभाषाओं से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 17 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, किसी नियोजक द्वारा किसी कर्मचारी को (जो किसी कंपनी का निदेशक या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कंपनी में कोई सारवान हित है) दिए गए या मुफ्त या रियायती दर पर उपलब्ध कराए गए किसी फायदे या सुख-सुविधा का मूल्य कर्मचारी द्वारा प्राप्त "परिलब्धि" के रूप में नहीं माना जाता है वहां वेतन, जिसके अंतर्गत ऐसे कर्मचारी के धनीय संदाय के रूप से अन्यथा परिलब्धियों का मूल्य नहीं है, चौबीस हजार रुपए से अधिक नहीं है।

उपखंड (क), खंड (2) के उपखंड (iii) की मद (ग) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि वेतन की धनीय सीमा को चौबीस हजार रुपए से बढाकर पचास हजार रुपए कर दिया जाए और उक्त खंड 12 में एक नया उपखंड (viii) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि किसी कर्मचारी को दिए गए किसी सीमांत फायदे या सुख-सुविधा का मूल्य ऐसी रीति से अवधारित किया जाएगा जो विहित की जाए।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

उक्त धारा के खंड (2) के उपखंड (iii) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, उसमें विनिर्दिष्ट मामलों में मुफ्त या रियायती दर पर दिए गए या उपलब्ध कराए गए किसी फायदे या सुख-सुविधा के मूल्य को परिलब्धि में सम्मिलित किया जाएगा। उपखंड (iii) के परंतुक में यह उपबंध है कि उक्त उपखंड (iii) किसी कंपनी द्वारा उक्त कंपनी की कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना या उक्त कंपनी की स्कीम के अधीन अपने कर्मचारियों को शेयरों, डिबेंचरों या वारंटों के आबंटन के रूप में मुफ्त या रियायती दर पर प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराए गए किसी फायदे के मूल्य को लागू नहीं होगा।

यह और प्रस्ताव है कि उपखंड (iii) के परंतुक का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जाए कि उक्त उपखंड (iii) में अन्तर्विष्ट उपबंध तब लागू नहीं होंगे जब शेयर, डिबेंचर या वारंट किसी कंपनी द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कर्मचारी स्टाक विकल्प स्कीम या कर्मचारी स्टाक क्रय स्कीम के अधीन अपने कर्मचारियों को आबंटित किए जाते हैं।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप में 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2001-2002 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

यह भी प्रस्ताव है कि खंड (2) में एक नया उपखंड (viii) अन्तःस्थापित किया जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उपखंड (ख), उक्त धारा के खंड (3) में एक नया उपखंड (iii) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि किसी ऐसे निर्धारिती को या उसके द्वारा कोई नियोजन ग्रहण के पूर्व, या ऐसे नियोजन के समाप्त होने के पश्चात् "वेतन" शीर्ष के अधीन उस व्यक्ति की आय के रूप में किसी व्यक्ति से शोध्य है या प्राप्त रकम को, चाहे एकमुश्त हो या अन्यथा सम्मिलित किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 14, गृह संपत्ति के वार्षिक मूल्य के अवधारण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 23 के स्थान पर नई धारा रखने के लिए है।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंध में कतिपय परिस्थितियों में संपत्ति के वार्षिक मूल्य के अवधारण का उपबंध है जिसके अंतर्गत वह भी है जहां संपत्ति किराए पर दी जाती है, या स्वयं के अधिभोग में है या खाली है या आंशिक रूप से किराए पर दी जाती है या वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी जाती है। इस प्रकार अवधारित वार्षिक मूल्य धारा 24 के अधीन अनुज्ञेय कटौतियों के अधीन रहते हुए है जिसके अंतर्गत किराए पर दी गई संपत्ति की बाबत वर्ष के किसी भाग के लिए खाली पडे रहने के कारण और उस किराए के कारण, जिसको वसूल नहीं किया जा सकता है, कटौतियां भी हैं।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा को प्रतिस्थापित किया जाए जिससे कि खाली पड़े रहने और वसूल न किए गए किराए के कारण वार्षिक मूल्य की संगणना करने में कटौतियां अनुज्ञात करने के पश्चात् प्रस्तावित नई धारा में विनिर्दिष्ट कतिपय परिस्थितियों में वार्षिक मूल्य के अवधारण का उपबंध किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 15, गृह संपत्ति से आय में से कटौतियों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 24 को प्रतिस्थापित करने के लिए है।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की, कतिपय मामलों में, संपत्ति की मरम्मत, उससे किराए के संग्रहण, संदत्त बीमा प्रीमियम की रकम; संपत्ति की बाबत किसी वार्षिक प्रभार (जो प्रभार निर्धारिती द्वारा स्वेच्छया सृजित नहीं किया गया है या कोई पूंजी प्रभार नहीं है) भूमि किराया; संपत्ति का अर्जन, सन्निर्माण, मरम्मत, नवीकरण, या पुनःसन्निर्माण करने के लिए उधार ली गई पूंजी पर ब्याज; भू-राजस्व या किसी अन्य कर, जो राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत किया जाए; उस अवधि के जिसके दौरान वह संपत्ति जिसे किराए पर दी गई थी, खाली रही थी, अनुपातिक वार्षिक मूल्य के भाग और इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन किराए की रकम, जिसे निर्धारिती वसूल नहीं कर सकता है, की बाबत वार्षिक मूल्य के एक-चौथाई की कटौती करने के पश्चात् संगणना की जाएगी।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा को प्रतिस्थापित किया जाए जिससे कि "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करते समय वार्षिक मूल्य के तीस प्रतिशत रकम की कटौती के लिए उपबंध किया जा सके।

अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी प्रस्ताव है कि संपत्ति के अर्जन और सन्निर्माण के लिए, जहां ऐसा अर्जन या सन्निर्माण 1 अप्रैल, 2003 से पहले पूरा हो जाता है और इसका निर्धारिती द्वारा अपने निवास के लिए अधिभोग किया जाना है या अधिभोग कर

लिया है, 1 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात् उधार ली गई पूंजी पर ब्याज के रूप में संदेय एक लाख पचास हजार रुपए की रकम तक कटौती का उपबंध किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 16, गृह संपत्ति से आय में से कटौती न किए जाने योग्य रकमों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 25 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंध के अधीन, आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य किसी वार्षिक प्रभार या ब्याज को, जो भारत के बाहर संदेय है, जिस पर कर संदत्त नहीं किया गया है या अध्याय 17ख के अधीन उसकी कटौती नहीं की गई है और जिसकी बाबत भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे धारा 163 के अधीन अभिकर्ता के रूप में माना जा सके, "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती नहीं की जाएगी।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा में वार्षिक प्रभार के प्रति निर्देश का लोप किया जाए। प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 17, ऐसे मामलों के लिए विशेष उपबंध जहां कटौती में अनुज्ञात और वसूल न किया गया किराया तत्पश्चात् वसूल किया जाता है, से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 25क का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, जहां किसी वर्ष के लिए निर्धारण में संपत्ति से ऐसे किराए की बाबत जिसे निर्धारिती वसूल नहीं कर सकता है और तत्पश्चात् किसी पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती ने ऐसे किराए की बाबत कोई रकम वसूल की है, धारा 24 के अधीन कोई कटौती की गई है वहां इस प्रकार वसूल की गई रकम "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य समझी जाएगी और उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में धारा 23 या धारा 24 के अधीन कोई कटौती किए बिना कर से प्रभारित की जाएगी, चाहे निर्धारिती उस वर्ष में उस संपत्ति का स्वामी है अथवा नहीं।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा का संशोधन किया जाए जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा का उपबंध वहां तक लागू होगा जहां तक वह धारा 23 या धारा 24, जैसा वह विधेयक में प्रस्तावित प्रतिस्थापन के ठीक पूर्व थी, के अधीन कटौती से संबंधित है। आय-कर अधिनियम की धारा 23 और धारा 24, विधेयक के खंड 14 और खंड 15 द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 18, वसूल न किया गया बाद में प्राप्त किराए का आय-कर से प्रभारित किया जाना से संबंधित एक नई धारा 25कक आय-कर अधिनियम में अंतःस्थापित करने के लिए है।

यह प्रस्ताव है कि यह उपबंध करने के लिए एक नई धारा अंतःस्थापित की जाए कि जहां निर्धारिती किसी किराएदार को किराए पर दी गई संपत्ति से किराया वसूल नहीं कर सकता है और बाद में निर्धारिती ने ऐसे किराए की बाबत कोई रकम वसूल की है, वहां इस प्रकार वसूल की गई रकम "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय समझी जाएगी और तदनुसार उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभारित की जाएगी जिसमें ऐसा किराया वसूल किया गया है, चाहे निर्धारिती उस पूर्ववर्ष में उस संपत्ति का स्वामी है अथवा नहीं। धारा 23 और धारा 24 को विधेयक के खंड 14 और खंड 15 द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 19, प्राप्त किराए के बकाया के लिए विशेष उपबंध से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 25ख का संशोधन करने के लिए है।

विद्यमान उपबंध के अधीन, जहां निर्धारिती ऐसी संपत्ति से किराए की बकाया के रूप में कोई रकम प्राप्त करता है, जो किसी पूर्ववर्ष के लिए आय-कर से प्रभारित नहीं की गई है, वहां संपत्ति की मरम्मत और किराए की संगणना के लिए ऐसी रकम के एक-चौथाई के बराबर राशि की कटौती करने के पश्चात् प्राप्त रकम उस वर्ष की, जिसमें ऐसा किराया प्राप्त किया जाता है, "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय समझी जाएगी।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जाए कि ऐसी रकम के उक्त एक-चौथाई के बजाय ऐसी रकम के तीस प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती करने के पश्चात् इस प्रकार प्राप्त किराए की बकाया रकम ऐसे पूर्ववर्ष की "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य ऐसी आय समझी जाएगी। प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 20, "गृह संपत्ति का स्वामी" और "वार्षिक प्रभार" आदि पदों की परिभाषा से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 27 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ, "वार्षिक प्रभार" और "पूंजी प्रभार" पदों की परिभाषाएं हैं।

यह प्रस्ताव है कि "वार्षिक प्रभार" और "पूंजी प्रभार" पदों की परिभाषाओं का लोप किया जाए। प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 21, अवक्षयण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 32 का संशोधन करने के लिए है।

उपखंड (क) उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ii) में एक नया स्पष्टीकरण 5 यह स्पष्ट करने के लिए अंतःस्थापित करने के लिए है कि धारा 32 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे चाहे निर्धारिती ने अपनी कुल आय की संगणना करने में अवक्षयण की कटौती का दावा किया है अथवा नहीं।

उपखंड (ख) उपधारा (2) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां अवक्षयण मोक को किसी पूर्ववर्ष में इस कारण कि उस पूर्ववर्ष के लिए प्रभार्य कोई लाभ या अभिलाभ नहीं है या इस कारण कि प्रभार्य लाभ या अभिलाभ मोक से कम है, पूर्णतया प्रभावी नहीं किया जा सकता है वहां वह अवक्षयण मोक या उसका भाग जिसे प्रभावी नहीं किया गया है, आगामी पूर्ववर्ष के लिए, या उत्तरवर्ती पूर्ववर्षों के लिए जब तक कि निर्धारिती द्वारा दावा किए गए अवक्षयण मोक को पूर्णतया प्रभावी नहीं किया गया है, अवक्षयण के लिए मोक की रकम में जोड़ा जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 22, चाय विकास खाते से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 33कख का संशोधन करने के लिए है।

उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, यदि भारत में चाय उगाने और विनिर्मित करने का कारबार करने वाले किसी निर्धारिती ने पूर्ववर्ष के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पास कोई रकम चाय बोर्ड द्वारा इस निमित्त अनुमोदित स्कीम के अनुसार बैंक में ऐसे निर्धारिती द्वारा रखे गए विशेष खाते में जमा की है या यदि कोई निर्धारिती, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, चाय बोर्ड द्वारा विरचित किसी स्कीम के अनुसार चाय निक्षेप खाते के रूप में ज्ञात कोई खाता खोलता है तो ऐसे निर्धारिती को पूर्ववर्ष के दौरान इस प्रकार निक्षिप्त रकम या भारत में चाय उगाने या विनिर्मित करने के कारबार के लाभ के बीस प्रतिशत की कटौती, इनमें से जो भी कम हो, अनुज्ञात की जाती है।

उक्त उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि कटौती की उक्त सीमा को बीस प्रतिशत से बढ़ाकर चालीस प्रतिशत किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 23, वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 35 का संशोधन करने के लिए है।

उपधारा (2कक) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, किसी अनुमोदित राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को वैज्ञानिक अनुसंधान का अनुमोदित कार्यक्रम चलाने के लिए किसी निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि, इस प्रकार संदत्त राशि के एक सही एक बटा चार की भारित कटौती के लिए पात्र है।

उपखंड (क) में यह प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा का ऐसे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों तक विस्तार किया जाए जो विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हों।

उपधारा (2कख) के खंड (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, ऐसी किसी कंपनी को, जो किन्हीं ओषधियों, भेषजियों, विद्युत उपस्करों, कंप्यूटरों, दूर-संचार उपस्करों, रसायनों या बोर्ड द्वारा अधिसूचित किसी अन्य वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगी हुई है, विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार उसके द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान पर (जो किसी भूमि या भवन की लागत की प्रकृति का व्यय नहीं है), आंतरिक अनुसंधान पर और विकास सुविधा पर उसके द्वारा उपगत एक सही एक बटा दो के बराबर राशि की कटौती के लिए अनुज्ञात किया गया है।

उपखंड (ख) में यह प्रस्ताव है कि उक्त खंड का संशोधन किया जाए जिससे कि जैव-प्रौद्योगिकी के कारबार में लगी हुई कंपनी को भी पूर्वोक्त कटौती अनुज्ञात की जा सके।

इस उपखंड में यह भी प्रस्ताव है कि उपधारा (2कख) के खंड (1) में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त खंड

के अधीन ओषधियों और भेषजियों के संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान, आंतरिक अनुसंधान और विकास पर उपगत व्यय के अंतर्गत क्लीनिक संबंधी ओषधि परीक्षण, किसी केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम के अधीन किसी विनियामक प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने और पेटेन्ट अधिनियम, 1970 के अधीन किसी अन्वेषण के पेटेन्ट के लिए आवेदन फाइल करने पर उपगत हुआ व्यय भी होगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 24, स्वैच्छया सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन उपगत व्यय का क्रमिक अपाकरण से संबंधित आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 35घघक अंतःस्थापित करने के लिए है।

उक्त नई धारा की उपधारा (1) में यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां कोई निर्धारिती किसी पूर्ववर्ष में धारा 10 के खंड (10ग) के अधीन विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार बनाई गई स्वैच्छया सेवानिवृत्ति की किसी स्कीम के अधीन किसी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति के समय किसी राशि के संदाय के रूप में कोई व्यय उपगत करता है वहां इस प्रकार संदत्त रकम के एक बटा पांच की कटौती उस पूर्ववर्ष के लिए कारबार के लाभ और अभिलाभ की संगणना करने में की जाएगी और शेष की कटौती ठीक चार उत्तरवर्ती पूर्ववर्षों में से प्रत्येक के लिए समान किस्तों में की जाएगी।

उक्त नई धारा की उपधारा (2) में यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि उपधारा (1) में वर्णित व्यय की बाबत कोई कटौती उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 25, वास्तविक संदाय पर ही की जाने वाली कुछ कटौतियों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 43ख का संशोधन करने के लिए है।

इस खंड के उपखंड (ii) धारा 43ख में एक नया खंड (च) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि इस धारा की परिधि का किसी ऐसी राशि को उस पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसी राशि वस्तुतः संदत्त की जाती है, आय में केवल कटौती के रूप में सम्मिलित करने के लिए विस्तार किया जा सके जो किसी नियोजक द्वारा अपने कर्मचारी के जमाखाते में की किसी छुट्टी के बदले में संदेय है।

उपखंड (iii) उक्त धारा के पहले परंतुक में "या खंड (च)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि परंतुक को खंड (च) पर लागू किया जा सके।

उपखंड (iv) स्पष्टीकरण 3ख अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां उक्त धारा के खंड (च) में निर्दिष्ट किसी राशि की बाबत कटौती उस पूर्ववर्ष की (जो 1 अप्रैल, 2001 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष है), जिसमें ऐसी राशि का संदाय करने का दायित्व निर्धारिती द्वारा उपगत किया गया था, धारा 28 में निर्दिष्ट आय की संगणना करने में अनुज्ञात की जाती है, वहां निर्धारिती उस पूर्ववर्ष की, जिसमें उसके द्वारा ऐसी राशि वस्तुतः संदत्त की जाती है, आय की संगणना करने में ऐसी राशि की बाबत इस धारा के अधीन किसी कटौती का हकदार नहीं होगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 26, वृत्ति या कारबार चलाने वाले कतिपय व्यक्तियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 44कख का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा के दूसरे परंतुक में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, जहां किसी व्यक्ति से अपने लेखाओं की किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन लेखापरीक्षा कराना अपेक्षित है, वहां उस धारा के उपबंधों का पर्याप्त अनुपालन होगा यदि ऐसा व्यक्ति विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व ऐसी विधि के अधीन अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा करा लेता है और उस तारीख तक ऐसी अन्य विधि के अधीन अपेक्षानुसार लेखापरीक्षा की रिपोर्ट और पूर्वोक्त धारा के अधीन विहित प्ररूप में एक और रिपोर्ट दे देता है।

उपखंड (क) में यह प्रस्ताव है कि दूसरे परंतुक का संशोधन किया जाए जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि उक्त और रिपोर्ट लेखाकार द्वारा दी जाएगी।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण के खंड (ii) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, किसी निर्धारिती की दशा में, जो कोई कंपनी है, अपने पूर्ववर्ष के लेखे की लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा कराने और ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट विहित प्ररूप में देने की विनिर्दिष्ट तारीख निर्धारण वर्ष का 30 नवंबर और किसी अन्य दशा में, विनिर्दिष्ट तारीख निर्धारण वर्ष का 31 अक्तूबर है।

उपखंड (ख) में यह प्रस्ताव है कि स्पष्टीकरण के उक्त खंड (ii) को यह उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापित किया जाए कि किसी निर्धारिती की दशा में, जो कोई कंपनी है, विनिर्दिष्ट तारीख निर्धारण वर्ष का 31 अक्तूबर और किसी अन्य दशा में, विनिर्दिष्ट तारीख निर्धारण वर्ष का 31 जुलाई होगी।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप में 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2001-2002 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 27, अंतरण न समझे जाने वाले संव्यवहार से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 47 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा 47 के खंड (iii) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, किसी दान या विल या अप्रतिहस्तांतरणीय न्यास के अधीन पूंजी आस्ति का कोई अंतरण, अंतरण नहीं समझा जाता है। उक्त खंड (iii) के परंतुक में यह उपबंध है कि खंड (iii) में अंतर्विष्ट उपबंध दान या किसी अप्रतिहस्तांतरणीय न्यास के अधीन किसी ऐसी पूंजी आस्ति के अंतरण को लागू नहीं होंगे, जो किसी कंपनी द्वारा कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना या स्कीम के अधीन अपने कर्मचारियों को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः आबंटित शेयर, डिबेंचर या वारंट हैं।

यह प्रस्ताव है कि खंड (iii) के उक्त परंतुक का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जाए कि उस खंड में अन्तर्विष्ट उपबंध तब लागू नहीं होंगे जब शेयर, डिबेंचर या वारंट किसी कंपनी द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कर्मचारी स्टाक विकल्प स्कीम या कर्मचारी स्टाक क्रय स्कीम के अधीन आबंटित किए जाते हैं।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप में 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2001-2002 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

धारा 47 के खंड (vii क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी पूंजी आस्ति का, जो धारा 115कग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट बंधपत्र या शेयर हैं, किसी अनिवासी द्वारा किसी अन्य अनिवासी को भारत के बाहर किया गया कोई अंतरण, अंतरण के रूप में नहीं माना जाएगा।

यह प्रस्ताव है कि विधेयक के खंड 47 द्वारा धारा 115कग को प्रतिस्थापित किया जाए। इसके परिणामस्वरूप, धारा 47 के खंड (viiक) में प्रयुक्त "शेयर" शब्द के स्थान पर "सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीद" शब्द रखे जाने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 28, अर्जन के कतिपय ढंगों के प्रति निर्देश से लागत से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 49 का संशोधन करने के लिए है।

एक नई उपधारा (2ककक) यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि जहां पूंजी अभिलाभ किसी शेयर, डिबेंचर या वारंट के अंतरण से उद्भूत होता है जिसे धारा 17 के खंड (2) के अधीन परिलब्धि के मूल्य की संगणना करते समय हिसाब में लिया गया है, वहां ऐसे शेयर, डिबेंचर या वारंट के अर्जन की लागत उस उपधारा के अधीन मूल्य होगी।

यह संशोधन, भूतलक्षी रूप में 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2001-2002 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 29, आय-कर अधिनियम की धारा 54ङग का संशोधन करने के लिए है जिसमें यह उपबंध है कि पूंजी अभिलाभ का कतिपय बंधपत्रों में विनिधान पर प्रभारित नहीं किया जाना है।

किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ कर से छूट प्राप्त है यदि ऐसी पूंजी अभिलाभ का किसी ऐसी दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में विनिधान किया गया है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 1 अप्रैल, 2000 को या उसके पश्चात् जारी किया गया तीन वर्ष के पश्चात् मोचनीय कोई बंधपत्र है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा की उपधारा (3) के नीचे स्पष्टीकरण की मद (ख) को प्रतिस्थापित किया जाए जिससे कि उक्त धारा के अधीन छूट के फायदे का रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड के, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कंपनी है, बंधपत्रों तक विस्तार किया जा सके यदि दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ का ऐसी किसी दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में विनिधान किया जाता है जो उक्त कार्पोरेशन द्वारा 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात् जारी किया गया तीन वर्ष के पश्चात् मोचनीय कोई बंधपत्र है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 30, आय-कर अधिनियम की धारा 54ङध यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित करने के लिए है कि कतिपय सूचीबद्ध प्रतिभूतियों या यूनिटों के अंतरण पर पूंजी अभिलाभ को कतिपय मामलों में प्रभारित नहीं किया जाएगा।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के, जो किसी पारस्परिक निधि या भारतीय यूनिट ट्रस्ट की सूचीबद्ध प्रतिभूतियां या यूनिट हैं, अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ कर से छूट प्राप्त

होगा यदि ऐसे पूंजी अभिलाभ का, पूंजी के पात्र निर्गम के भागरूप साधारण शेयरों में विनिधान किया जाता है जो जनता को प्रतिश्रुति के लिए आफर किया गया है। यदि पूंजी अभिलाभ के भाग का उक्त साधारण शेयरों को अर्जित करने में विनिधान किया जाता है तो आनुपातिक छूट उपलब्ध होगी।

प्रस्तावित उपधारा (1) का स्पष्टीकरण "पूंजी का पात्र निर्गम", "सूचीबद्ध प्रतिभूतियां" और "यूनिट" पदों को उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए परिभाषित करता है।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात छूट इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त साधारण शेयर कम-से-कम एक वर्ष की अवधि के लिए धारित किए जाते हैं, जिसके न होने पर ऐसे विनिधान के आधार पर अनुज्ञात छूट अनुज्ञात नहीं की जाएगी और इस प्रकार अनुज्ञात न की गई रकम उस पूर्ववर्ष के, जिसमें ऐसे साधारण शेयरों का विक्रय किया जाता है या अन्यथा अंतरण किया जाता है, 'पूंजी अभिलाभ' शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य आय समझी जाएगी।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां विनिर्दिष्ट साधारण शेयरों की लागत को उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए हिसाब में लिया गया है वहां ऐसी लागत के संदर्भ में आय-कर की रकम में से कटौती धारा 88 के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 31, नई आस्ति अर्जित करने या पूंजी अभिलाभ की रकम का निक्षेप या विनिधान करने के लिए समय का विस्तार से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 54ज का संशोधन करने के लिए है।

धारा 54ज में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, जहां मूल आस्ति का अंतरण किसी विधि के अधीन अनिवार्य अर्जन के रूप में और ऐसे अर्जन के लिए अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम निर्धारिती द्वारा ऐसे अंतरण की तारीख को प्राप्त नहीं की जाती है वहां, यथास्थिति, निर्धारिती द्वारा नई आस्ति अर्जित करने की धारा 54, धारा 54ख, धारा 54घ, धारा 54ङक, धारा 54ङख और धारा 54च में निर्दिष्ट अवधि या ऐसे प्रतिकर के संबंध में जो ऐसे अंतरण की तारीख को प्राप्त नहीं होता है, पूंजी अभिलाभ की रकम का निक्षेप या विनिधान करने के लिए उक्त धाराओं के अधीन निर्धारिती को उपलब्ध अवधि की गणना ऐसे प्रतिकर प्राप्त करने की तारीख से की जाएगी। धारा 54ङग वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा कृषि और ग्रामीण वित्त तथा राजमार्ग अवसंरचना पर अनन्य रूप से निर्दिष्ट चुनिन्दा बंधपत्रों में विनिधानों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के कर से छूट का उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित की गई थी। धारा 54ङक और धारा 54ङख का उक्त अधिनियम द्वारा लोप किया गया था।

यह प्रस्ताव है कि धारा 54ज में धारा 54ङक और धारा 54ङख के निर्देश का लोप किया जाए और धारा 54ङग का निर्देश अंतःस्थापित किया जाए। प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप में 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2001-2002 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 32, "समायोजित", "सुधार की लागत" और "अर्जन की लागत" के अर्थ से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 55 का संशोधन करने के लिए है।

उपधारा (2) के खंड (क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, किसी पूंजी आस्ति के संबंध में, जो किसी कारबार की गुडविल अथवा जो किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण, उत्पादन या प्रक्रिया का अधिकार, अभिधारण अधिकार, मंजिली गाड़ी के परमिट या करघा घंटे हैं, अर्जन की लागत उस दशा में क्रय कीमत मानी जाएगी यदि आस्ति का क्रय निर्धारिती द्वारा किसी पूर्वतन स्वामी से किया गया है और किसी अन्य दशा में ऐसी लागत शून्य मानी जाएगी।

उपधारा (2) के खंड (क) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि किसी कारबार से सहयुक्त व्यापार चिन्ह या ब्राण्ड नाम के संबंध में अर्जन की लागत भी उस दशा में क्रय कीमत मानी जाएगी यदि आस्ति का क्रय किसी पूर्वतन स्वामी से किया गया है और किसी अन्य दशा में शून्य मानी जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 33, समामेलन या निर्विलयन, आदि में संचयित हानि और शेष अवक्षयण मोक के अग्रनीत और मुजरा करने से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 72क का संशोधन करने के लिए है।

उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी औद्योगिक उपक्रम या पोत का स्वामी किसी कंपनी का, अन्य किसी कंपनी से समामेलन की दशा में हानि के मुजरा और अग्रनयन तथा अवक्षयण का मोक आय-कर अधिनियम के अधीन अनुज्ञात है।

यह प्रस्ताव है कि "औद्योगिक उपक्रम" पद को परिभाषित करने के लिए उपधारा (7) का संशोधन किया जाए जिससे कि कोई ऐसा उपक्रम अभिप्रेत हो सके जो माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण या कंप्यूटर साफ्टवेयर के विनिर्माण या विद्युत या शक्ति के किसी अन्य रूप के उत्पादन या वितरण के कारबार या खनन या पोत, वायुयान या रेल प्रणालियों के सन्निर्माण में लगा हुआ है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2000 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2000-2001 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 34, कतिपय पेंशन निधियों में अभिदाय की बाबत कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80गगग का संशोधन करने के लिए है।

उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, कोई व्यष्टि, धारा 10 के खंड (23ककख) में निर्दिष्ट भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा स्थापित किसी निधि से पेंशन प्राप्त करने के लिए उक्त निगम की किसी वार्षिकी योजना में उसके द्वारा संदत्त या निक्षिप्त किसी रकम की कटौती के लिए पात्र होगा। यह कटौती दस हजार रुपए तक होगी।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि किसी अन्य बीमाकर्ता की किसी वार्षिकी योजना को प्रवृत्त करने के लिए संदत्त या निक्षिप्त कोई रकम भी कटौती के लिए पात्र होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 35, चिकित्सा बीमा प्रीमियम की बाबत कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80घ का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, निर्धारिती के, जो वरिष्ठ नागरिक है, या उसकी पत्नी या उसके पति या आश्रित माता-पिता या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के स्वास्थ्य संबंधी बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए संदत्त पंद्रह हजार रुपए से अनधिक राशि की कटौती अनुज्ञात की गई है, यदि ऐसा बीमा भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा इस निमित्त बनाई गई और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित स्कीम के अनुसार है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा की उपधारा (2) के परंतुक को यह उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापित किया जाए कि किसी अन्य बीमाकर्ता की ऐसी किसी स्कीम के अधीन, जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है, संदत्त रकम भी कटौती के लिए पात्र होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 36, असुविधाग्रस्त आश्रित के चिकित्सीय उपचार सहित भरण-पोषण की बाबत कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80घघ का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध में असुविधाग्रस्त आश्रित के चिकित्सीय उपचार सहित भरण-पोषण की बाबत कटौती का उपबंध है, परंतु यह तब जब कि ऐसी रकम का भारतीय जीवन बीमा निगम या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी स्कीम में निक्षेप किया जाता है।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि किसी ऐसे अन्य बीमाकर्ता की, जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है, किसी स्कीम में निक्षिप्त रकम भी कटौती के लिए पात्र होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 37, कतिपय निधियों, पूर्त संस्थाओं, आदि को दान की बाबत कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80छ का संशोधन करने के लिए है।

विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी निर्धारिती को उसके द्वारा किए गए दानों की बाबत उसकी कुल आय से कटौती अनुज्ञात है। कतिपय निधियों को दान की बाबत शत प्रतिशत कटौती अनुज्ञात है।

खंड (क) और खंड (ख) द्वारा राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास को किए गए दानों की बाबत सौ प्रतिशत कटौती का उपबंध करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 38, संदत्त किराए की बाबत कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80छछ का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, किसी ऐसे निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में, जो ऐसा निर्धारिती नहीं है, जिसकी आय धारा 10 के खंड

(13क) के अंतर्गत आती है, उसके अधिभोग में किसी निवास स्थान की बाबत किराए के संदाय के मद्धे उसके द्वारा उपगत व्यय की बाबत उक्त धारा में विनिर्दिष्ट सीमा तक कटौती अनुज्ञात है। तथापि, ऐसी कटौती उस दशा में अनुज्ञेय नहीं है यदि अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारिती उस स्थान पर, ऐसे निवास स्थान का स्वामी है, जहां वह मामूली तौर पर निवास आदि करता है या निर्धारिती ऐसे अन्य स्थान का स्वामी है जो निर्धारिती के अधिभोग में की ऐसी वास सुविधा है जिसका मूल्य धारा 23 की उपधारा (2) के, यथास्थिति, खंड (क) के उपखंड (i) या खंड (ख) के अधीन अवधारित किया जाना है।

इस विधेयक का खंड 14, धारा 23 का एक नई धारा से प्रतिस्थापन करने के लिए है। तदनुसार, नई धारा 23 का निर्देश प्रतिस्थापित करने के लिए धारा 80छछ का संशोधन करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 39, कंप्यूटर साफ्टवेयर आदि के निर्यात से लाभ की बाबत कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80जजङ का संशोधन करने के लिए है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा की उपधारा (1) के पश्चात्‌ एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए जिससे कि यह स्पष्ट किया जा सके कि भारत के बाहर कंप्यूटर साफ्टवेयर के परिसर स्थल पर विकास से (जिसके अंतर्गत साफ्टवेयर के विकास के लिए सेवाएं हैं), व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ, भारत के बाहर कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ के रूप में समझे जाएंगे।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप में 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2001-2002 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 40, अवसंरचना विकास आदि में लगे हुए औद्योगिक उपक्रमों या उद्यमों से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80झक का संशोधन करने के लिए है।

उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, पहले पांच निर्धारण वर्षों के लिए लाभों और अभिलाभों के शत प्रतिशत की और तत्पश्चात्‌ पच्चीस प्रतिशत की कटौती अनुज्ञात है।

उपखंड (क) में उक्त उपधारा (1) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि उक्त उपधारा में निर्दिष्ट उपक्रमों के लिए दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए लाभों और अभिलाभों के सौ-प्रतिशत की कटौती का उपबंध किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उपधारा (2) के परंतुक में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, निर्धारिती अपने विकल्प पर, उस वर्ष से, जिसमें उपक्रम या उद्यम किसी राजमार्ग परियोजना में लगा हुआ है, जिसके अंतर्गत आवासन या ऐसे अन्य क्रियाकलाप हैं, जो राजमार्ग परियोजना के अभिन्न भाग हैं, प्रारंभ होने वाले बीस वर्षों में से किन्हीं दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए कटौती का दावा कर सकेगा।

उपखंड (ख) में उक्त परंतुक को यह उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है कि जहां निर्धारिती ऐसी किसी अवसंरचना सुविधा का विकास या प्रचालन और अनुरक्षण अथवा विकास, प्रचालन और अनुरक्षण करता है जो (क) कोई सड़क है जिसके अंतर्गत चुंगी सड़क, पुल या कोई रेल प्रणाली है; (ख) कोई राजमार्ग परियोजना, जिसके अंतर्गत ऐसे आवासन या अन्य क्रियाकलाप हैं, जो राजमार्ग परियोजना के अभिन्न भाग हैं; और (ग) कोई जल प्रदाय परियोजना, जल उपचार प्रणाली, सिंचाई परियोजना, स्वच्छता और मल वहन प्रणाली या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है, वहां वह अपने विकल्प पर उस वर्ष से, जिसमें उपक्रम या उद्यम उक्त अवसंरचना सुविधा में लगा हुआ है, प्रारंभ होने वाले बीस वर्षों में से किन्हीं दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए कटौती का दावा कर सकेगा। पत्तन, वायुपत्तन, अंतर्देशीय जलमार्ग या अंतर्देशीय पत्तन, जो अवसंरचना सुविधा है, के लिए दस वर्ष के, कर अवकाश का पन्द्रह वर्ष के ब्लाक में उपयोग किया जा सकेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उपखंड (ग) में नई उपधारा (2क) यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है कि किसी उपक्रम को, जो उपधारा (4) के खंड (ii) में विनिर्दिष्ट दूर-संचार सेवाएं उपलब्ध कराता है, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधियों के दौरान किसी समय प्रारंभ होने वाले पहले पांच निर्धारण वर्षों के लिए पात्र कारबार के लाभों और अभिलाभों के सौ प्रतिशत और तत्पश्चात्‌ और पांच निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे लाभों और अभिलाभों के तीस प्रतिशत की कटौती अनुज्ञात होगी।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप में 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उपखंड (घ) में, अन्य बातों के साथ-साथ, "औद्योगिक उपक्रम" शब्दों के स्थान पर "उपक्रम" शब्द प्रतिस्थापित करके उपधारा (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

यह भी प्रस्ताव है कि उपधारा (4) के उपखंड (i) की मद (ख) को इस शर्त को समाप्त करने के लिए प्रतिस्थापित किया जाए कि अवसंरचना सुविधा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी या ऐसे अन्य कानूनी निकाय को अंतरित कर दी जाएगी, जो विद्यमान उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया है।

इस उपखंड में अवसंरचना सुविधा के स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे अभिप्रेत है (क) कोई सड़क, जिसके अंतर्गत चुंगी सड़क, कोई पुल या कोई रेल प्रणाली, (ख) कोई राजमार्ग परियोजना जिसके अंतर्गत आवासन या ऐसे अन्य क्रियाकलाप हैं, जो राजमार्ग परियोजना के अभिन्न भाग हैं, (ग) कोई जल प्रदाय परियोजना, जल उपचार प्रणाली, सिंचाई परियोजना, स्वच्छता और मल प्रणाली या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, और (घ) पत्तन, वायुपत्तन, अंतर्देशीय जलमार्ग या अंतर्देशीय पत्तन है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

उपधारा (4) के खंड (ii) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, ऐसे उपक्रम को, जिसने दूर-संचार सेवा चाहे आधारिक हो या सेलूलर, जिसके अंतर्गत रेडियो पेजिंग, घरेलू उपग्रह सेवा, ट्रंक नेटवर्क और इलैक्ट्रानिकी डाटा अंतर-परिवर्तन सेवा है, 1 अप्रैल, 1995 को या उसके पश्चात्‌ किंतु 31 मार्च, 2000 के पूर्व किसी समय प्रदान करना प्रारंभ किया है या प्रारंभ करता है, कटौती अनुज्ञात है। उक्त खंड (ii) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि इसके अंतर्गत कटौती की पात्रता के प्रयोजनों के लिए, "ब्राडबैंड नेटवर्क" और "इंटरनेट सेवाओं" को लाया जा सके और उक्त समय सीमा को 31 मार्च, 2003 तक बढ़ाया भी जा सके।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप में 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2001-2002 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उपधारा (4) के खंड (iii) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, कटौती ऐसे उपक्रम को उपलब्ध है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित औद्योगिक पार्क का विकास करता है, विकास और प्रचालन करता है या अनुरक्षण और प्रचालन करता है। यह प्रस्ताव है कि इसके अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र को लाया जाए जिससे कि वही फायदे दिए जा सकें जो ऐसे औद्योगिक पार्क को उपलब्ध हैं। यह और प्रस्ताव है कि उपलब्ध अवधि को 31 मार्च, 2006 तक बढ़ा दिया जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उपखंड (ङ) में, "औद्योगिक उपक्रम" शब्दों के स्थान पर "उपक्रम" शब्द प्रतिस्थापित करके खंड (iv) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है। यह और प्रस्ताव है कि उत्पादन, उत्पादन और वितरण, पारेषण या वितरण लाइनों का जाल बिछाने में लगे उपक्रम के लिए उपलब्ध अवधि को 31 मार्च, 2003 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2006 तक कर दिया जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उपखंड (च) "औद्योगिक उपक्रम" शब्दों के स्थान पर "उपक्रम" शब्द प्रतिस्थापित करके उपधारा (7) का संशोधन करने के लिए है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उपखंड (छ), उपधारा (8) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि उपधारा के प्रयोजनों के लिए "सेवाओं" को सम्मिलित किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उपखंड (ज) "औद्योगिक उपक्रम" शब्दों के स्थान पर "उपक्रम" शब्द प्रतिस्थापित करके उपधारा (9) का संशोधन करने के लिए है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 41, अवसंरचना विकास उपक्रम से भिन्न कतिपय औद्योगिक उपक्रमों से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80झख का संशोधन करने के लिए है।

उपखंड (क) उक्त धारा की उपधारा (1) में प्रस्तावित उपधारा (11क) का निर्देश अंतःस्थापित करने के लिए है।

उपखंड (ख) उक्त धारा में एक नई उपधारा (11क) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि खाद्यान्नों की उठाई-धराई, भंडारण और

परिवहन के समेकित कारबार से लाभ व्युत्पन्न करने वाले किसी उपक्रम को आरंभिक निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होने वाले पांच निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे लाभ और अभिलाभ की सौ प्रतिशत कटौती अनुज्ञात की जाएगी और तत्पश्चात्, ऐसे कारबार की संक्रिया से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ के पच्चीस प्रतिशत (या जहां निर्धारिती कोई कंपनी है वहां तीस प्रतिशत) कटौती ऐसी रीति से अनुज्ञात होगी कि कटौती की कुल अवधि दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों से अधिक न हो और यह इस शर्त को पूरा करने के अधीन होगी कि वह ऐसे कारबार की संक्रिया 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात् प्रारंभ करता है।

उपखंड (ग) उपधारा (14) के खंड (ग) में एक नया उपखंड (iv) खाद्यान की उठाई-धराई, भंडारण और परिवहन के कारबार के संबंध में, "प्रारंभिक निर्धारण वर्ष" को परिभाषित करने के लिए है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 42, कतिपय प्रतिभूतियों, लाभांशों आदि पर ब्याज की बाबत कटौतियों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80ठ का संशोधन करने के लिए है।

यह प्रस्ताव है कि निर्धारिती को अपनी कुल आय की संगणना करने में अनुज्ञात कटौती को बारह हजार रुपए से घटाकर नौ हजार रुपए कर दिया जाए। यह भी प्रस्ताव है कि खंड (x) के नीचे परंतुक का लोप किया जाए, जो सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में प्राप्त तीन हजार रुपए की अतिरिक्त कटौती अनुज्ञात करता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 43, जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अभिदाय, आदि पर रिबेट से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 88 का संशोधन करने के लिए है।

आय-कर अधिनियम की धारा 88 के विद्यमान उपबंध के अधीन, उसके द्वारा किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति में विनिर्दिष्ट सीमा तक किए गए विनिधानों पर बीस प्रतिशत का कर रिबेट अनुज्ञात है। धारा 88 की उपधारा (1) का परन्तुक खिलाड़ी, नाटककार, लेखक, आदि की दशा में पच्चीस प्रतिशत के उच्चतर रिबेट का फायदा देता है।

उपधारा (2) के खंड (xiiiक) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम की ऐसी वार्षिकी योजना के लिए, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, संविदा करने या उसे प्रवृत्त बनाए रखने के लिए संदत्त या निक्षिप्त किसी राशि की बाबत रिबेट का उपबंध है।

उपखंड (क) यह उपबंध करने के लिए है कि ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य है, जो धारा 16 के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व एक लाख रुपए से अनधिक है और जो उसकी सकल कुल आय के नब्बे प्रतिशत से अन्यून है, धारा 88 के अधीन रिबेट की दर बीस प्रतिशत की बजाय तीस प्रतिशत होगी।

खंड (ख) यह उपबंध करने के लिए है कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी अन्य बीमाकर्ता की वार्षिकी योजना भी कर रिबेट के लिए पात्र होगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 44, अनिवासियों के साथ संव्यवहारों से आय की संगणना कतिपय मामलों में किस प्रकार की जाती है, से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 92 को प्रतिस्थापित करने के लिए है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा के स्थान पर नई धारा 92, धारा 92क, धारा 92ख, धारा 92ग, धारा 92घ, धारा 92ङ और धारा 92च रखी जाएं जो अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा असन्निकट कीमत, सहयुक्त उद्यम का अर्थ, अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार का अर्थ, असन्निकट कीमत की संगणना, कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार करने वाले व्यक्ति द्वारा सूचना और दस्तावेजों का बनाए रखना, कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार करने वाले व्यक्ति द्वारा लेखापाल की रिपोर्ट देना और नई धाराओं में आने वाले कतिपय पदों की परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से आय की संगणना से संबंधित हैं।

यह उपबंध करने के लिए धारा 92 को एक नई धारा से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है कि किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से उद्भूत आय की संगणना असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। आगे यह उपबंधित है कि दो या अधिक सहयुक्त उद्यमों के बीच आबंटित या प्रभाजित लागत या व्यय असन्निकट कीमत पर होगा।

प्रस्तावित नई धारा 92क और धारा 92ख "सहयुक्त उद्यम" और "अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार" पदों के अर्थ देती है जिसके प्रतिनिर्देश से आय की संगणना नई धारा 92 के अधीन की जानी है।

प्रस्तावित नई धारा 92ग असन्निकट कीमत की संगणना का उपबंध करती है। धारा यह उपबंध करती है कि अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत (क) तुल्य अनियंत्रित कीमत पद्धति; या (ख) पुनर्विक्रय कीमत पद्धति; या (ग) लागत धन पद्धतिः या (घ) लाभ विभाजन पद्धति; या (ङ) संव्यवहार संबंधी शुद्ध मार्जिन पद्धति; या (च) किसी अन्य पद्धति जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड द्वारा विहित की जाए, द्वारा अवधारित की जाएगी। इनमें से एक पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति होगी जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड द्वारा इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में असन्निकट कीमत की संगणना के लिए लागू की जाएगी। ऐसे मामले में जहां एक से अधिक कीमत सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति द्वारा अवधारित की जाती है वहां ऐसे मामले में असन्निकट कीमत दो या अधिक कीमतों का अंकगणितीय औसत होगी। नई धारा यह और उपबंध करती है कि जहां आय के निर्धारण की किसी कार्रवाई के अनुक्रम के दौरान निर्धारण अधिकारी की, उसके कब्जे में सामग्री या सूचना या दस्तावेज के आधार पर यह राय है कि अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार में प्रभारित कीमत का अवधारण उपधारा (1) और उपधारा (2) के अनुसार नहीं किया गया है या अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से संबंधित सूचना या दस्तावेजों को निर्धारिती द्वारा धारा 92घ की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों और इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार नहीं रखा गया है और बनाए नहीं रखा गया है या असन्निकट कीमत की संगणना में प्रयुक्त सूचना या डाटा विश्ववनीय या सही नहीं है या निर्धारिती विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी कोई सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा है जिसे धारा 92घ की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई किसी सूचना द्वारा प्रस्तुत करने की उससे अपेक्षा की गई थी, वहां निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उक्त संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत का अवधारण, उसके पास उपलब्ध ऐसी सामग्री या जानकारी या दस्तावेज के आधार पर, उपधारा (1) और उपधारा (2) के अनुसार कर सकेगा।

नई धारा 92घ यह उपबंध करने के लिए है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसने अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है, ऐसी जानकारी और दस्तावेज रखेगा और बनाए रखेगा जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड नियमों में उस अवधि को भी विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसके लिए जानकारी और दस्तावेज प्रतिधारित करना अपेक्षित है। अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्रवाईयों के अनुक्रम के दौरान निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसने कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है, नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट कोई सूचना या दस्तावेज इस निमित्त जारी की गई सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर देने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसी अवधि को, तीस दिन से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

नई धारा 92ङ यह उपबंध करने के लिए है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने किसी पूर्ववर्ष के दौरान कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है, लेखापाल की रिपोर्ट प्राप्त करेगा और ऐसी रिपोर्ट विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व विहित प्ररूप या रीति से प्रस्तुत करेगा।

नई धारा 92च प्रस्तावित नई धारा 92, धारा 92क, धारा 92ख, धारा 92ग, धारा 92घ और धारा 92ङ में प्रयुक्त "लेखाकार", "असन्निकट कीमत", "उद्यम", "विनिर्दिष्ट तारीख" और "संव्यवहार" पदों को परिभाषित करती हैं।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 45, प्रतिभूतियों में कतिपय संव्यवहारों द्वारा कर के परिवर्जन से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 94 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, ऐसी प्रतिभूतियों के विक्रय और क्रय के संव्यवहारों को, जिनके परिणामस्वरूप ऐसी प्रतिभूतियों की बाबत ब्याज और लाभांश ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा रहा है जो प्रतिभूतियों का स्वामी नहीं है, हिसाब में नहीं लिया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियों से ब्याज या लाभांश स्वामी की कुल आय में सम्मिलित किए जाने के लिए अपेक्षित है।

खंड (क) उक्त धारा में एक नई उपधारा (7) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई व्यक्ति प्रतिभूतियों या यूनिट की बाबत आय के लाभांश या वितरण की घोषणा के लिए नियत रिकार्ड तारीख से पूर्व तीन मास की अवधि के भीतर प्रतिभूतियां या यूनिट क्रय करता है या अर्जित करता है और ऐसी रिकार्ड तारीख के पश्चात् तीन मास की अवधि के भीतर उसका क्रय या अंतरण और प्राप्त या प्राप्य लाभांश या आय छूट प्राप्त है, वहां ऐसे क्रय या विक्रय से उद्भूत होने वाली हानि को, यदि कोई हो, को ऐसे व्यक्ति की कर से प्रभार्य आय की संगणना करने में उस परिणाम तक हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिस तक ऐसी हानि ऐसे लाभांश या ब्याज की रकम से अधिक नहीं है।

खंड (ख) नया पद "रिकार्ड तारीख" और "यूनिट", स्पष्टीकरण में खंड (घ) और खंड (ङ) के रूप में अंतःस्थापित करने के लिए है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 46, विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए यूनिटों या उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी

अभिलाभों से आय पर कर से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115कख का संशोधन करने के लिए है।

धारा 115कख के स्पष्टीकरण (क) में यह परिभाषित है कि "विदेशी वित्तीय संस्था" से भारत के बाहर किसी ऐसे देश की, जिसने भारत में विनिधान के लिए किसी पब्लिक सेक्टर बैंक या लोक वित्तीय संस्था या धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि के साथ कोई ठहराव किया है और ऐसे ठहराव का, केंद्रीय सरकार ने इस प्रयोजन के लिए अनुमोदन कर दिया है, विधि के अधीन स्थापित कोई निधि, संस्था, संगम या निकाय अभिप्रेत है, चाहे वह निगमित हो या नहीं।

उक्त स्पष्टीकरण का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि उपरोक्त ठहराव की बाबत अनुमोदन देने वाला प्राधिकारी केंद्रीय सरकार के बजाए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड होगा।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

खंड 47, विदेशी करेंसी में क्रय किए गए बंधपत्रों या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों से आय पर अथवा उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर से संबंधित एक नई धारा प्रतिस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो अनिवासी है, संदेय आय-कर निम्नलिखित का योग होगा,—

(i) भारतीय कंपनी के ऐसे बंधपत्रों की बाबत, जो ऐसी स्कीम के अनुसार, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, जारी किए जाते हैं या पब्लिक सेक्टर कंपनी के ऐसे बंधपत्रों पर जिनका सरकार द्वारा क्रय किया जाता है, और जो विदेशी करेंसी में उसके द्वारा क्रय किए जाते हैं, यदि कोई हो, ब्याज के रूप में आय का दस प्रतिशत ;

(ii) किसी भारतीय कंपनी की सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों की बाबत लाभांशों के रूप में (धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न) आय का दस प्रतिशत जो,—

(क) किसी भारतीय कंपनी के लंबित शेयरों के आरंभिक रूप में जारी किए जाने के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किसी स्कीम के अनुसार जारी किए जाते हैं और अनिवासी द्वारा किसी अनुमोदित मध्यवर्ती के माध्यम से विदेशी मुद्रा में क्रय किए जाते हैं ; या

(ख) सरकार द्वारा किसी अनुमोदित मध्यवर्ती के माध्यम से विक्रय किए गए पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयरों के संबंध में जारी किए जाते हैं ;

(ग) ऐसी स्कीम के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचित करे किसी भारतीय कंपनी के विद्यमान लंबित शेयरों के संबंध में पुनः जारी किए जाते हैं और अनिवासी द्वारा किसी अनुमोदित मध्यवर्ती के माध्यम से विदेशी मुद्रा में क्रय किए जाते हैं ; या

(घ) किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के, ऐसी स्कीम के अनुसार जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचित करे, ऐसी कंपनी द्वारा अपने शेयर धारण को अपनी समनुषंगी कंपनी में अविनिधान पर, शेयरों के संबंध में पुनः जारी किए जाते हैं और अनिवासी द्वारा किसी अनुमोदित मध्यवर्ती के माध्यम से विदेशी मुद्रा में क्रय किए जाते हैं, यदि कोई हों;

(iii) पूर्वोक्त बंधपत्रों और सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों के अंतरण से, यदि कोई हो, उद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों की दशा में दस प्रतिशत ; और

(iv) कुल आय पर आय-कर की वह रकम जो उक्त बंधपत्रों और सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों से आय को घटाकर आए।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि पूर्वोक्त अनिवासी निर्धारिती की दशा में इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी जहां सकल आय केवल उपरोक्त बंधपत्र या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों से आय को मिलाकर बनती है। तथापि, जहां सकल कुल आय में उपरोक्त बंधपत्रों या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों से आय सम्मिलित है वहां अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी मानो सकल कुल आय में उपरोक्त बंधपत्र या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों से आय सम्मिलित नहीं है।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (3) में यह उपबंध है कि पूंजी अभिलाभों की संगणना से संबंधित धारा 48 के पहले और दूसरे परंतुक अनिवासी निर्धारिती द्वारा विदेशी करेंसी में क्रय किए गए भारतीय कंपनियों के उपरोक्त बंधपत्रों या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों के अंतरण की दशा में लागू नहीं होंगे।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (4) में यह उपबंध है कि किसी अनिवासी से धारा 139(1) के अधीन आय की अपनी विवरणी देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी यदि उसकी कुल आय में उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट केवल आय समाविष्ट है और कर की कटौती ऐसी आय में से अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर की गई है।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (5) में यह उपबंध है कि जहां कोई निर्धारिती, उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार समामेलन या निर्विलीन कंपनी में सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीद या बंधपत्र अपने द्वारा धारण करने के आधार पर किसी पारिणामिक या समामेलित कंपनी में, यथास्थिति, बंधपत्र या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीद अर्जित करता है वहां उक्त उपधारा के उपबंध ऐसे बंधपत्रों या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों को लागू होंगे।

नई धारा के स्पष्टीकरण में "अनुमोदित मध्यवर्ती" और "सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों" पद परिभाषित किए गए हैं।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 48, विदेशी मुद्रा में क्रय की गई सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों या उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115कगक का संशोधन करने के लिए है।

धारा 115कगक में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो निवासी है और सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में लगी किसी भारतीय कंपनी का कर्मचारी है, ब्याज या लाभांश (जो धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न है) और कर्मचारी स्टाक विकल्प स्कीम, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, के अनुसार जारी किए गए और निवासी व्यष्टि कर्मचारी द्वारा विदेशी करेंसी में क्रय किए गए किसी भारतीय कंपनी के बंधपत्रों या शेयरों से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर दस प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है।

यह प्रस्ताव है कि धारा 115कगक का संशोधन किया जाए जिससे कि विनिर्दिष्ट ज्ञान आधारित उद्योग या सेवा में लगी किसी भारतीय कंपनी के किसी समनुषंगी कंपनी के कर्मचारी को अधिसूचित स्टॉक विकल्प स्कीम के अनुसार ऐसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी किए गए और निवासी व्यष्टि कर्मचारी द्वारा विदेशी करेंसी में क्रय किए गए शेयरों पर ब्याज या लाभांश (जो धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न है) और दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर रियायती कर की दर को विस्तारित किया जा सके।

यह भी प्रस्ताव है कि "विनिर्दिष्ट ज्ञान आधारित उद्योग या सेवा" पद को परिभाषित किया जाए जिससे कि इसकी परिधि के अंतर्गत विद्यमान सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा सेक्टरों के अतिरिक्त मनोरंजन सेवा, भेषजीय, जैव प्रौद्योगिकी और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित रूप में किसी अन्य उद्योग या सेवा को लाया जाए।

"समनुषंगी" पद को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप में 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2001-2002 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 49, लाटरी, वर्ग पहेली, दौड़ जिसके अंतर्गत घुड़दौड़ भी है, ताश के खेल और अन्य किसी प्रकार के खेल या हर प्रकार या प्रकृति का जुआ या दांव से जीत पर कर से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115खख का संशोधन करने के लिए है।

विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी लाटरी या वर्ग पहेली या दौड़, जिसके अंतर्गत घुड़दौड़ भी है (जो घुड़दौड़ के घोड़ों को अपने स्वामित्व में रखने और उनके रख-रखाव के कार्य से आय नहीं है) या ताश के खेल और अन्य सभी प्रकार के खेल या हर प्रकार या प्रकृति के जुआ या दांव से जीत के रूप में कोई आय, धारा 115खख के खंड (i) के अधीन चालीस प्रतिशत की दर से कर के लिए प्रभार्य है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त खंड का संशोधन किया जाए जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी जीत पर विद्यमान चालीस प्रतिशत की दर के स्थान पर तीस प्रतिशत की दर से कर लगाया जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 50, देशी कंपनियों के वितरित लाभों पर कर से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115ण का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, किसी देशी कंपनी द्वारा लाभांशों के रूप में, (चाहे अंतरिम हो या अन्यथा), घोषित, वितरित या संदत्त किसी रकम पर कंपनी की कुल आय की बाबत प्रभार्य सामान्य आय-कर के अतिरिक्त बीस प्रतिशत की समान दर से अतिरिक्त आय-कर प्रभारित किया जाएगा।

यह प्रस्ताव है कि अतिरिक्त आय-कर की उक्त दर को बीस प्रतिशत से घटाकर दस प्रतिशत कर दिया जाए।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

खंड 51, देशी कंपनियों द्वारा कर का संदाय न किए जाने के लिए संदेय ब्याज से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115त का संशोधन करने के लिए है।

विद्यमान उपबंध के अधीन, देशी कंपनी का प्रधान अधिकारी और कंपनी प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए डेढ़ प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए

दायी होंगे यदि वह या कंपनी धारा 115ण में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार वितरित लाभों पर संपूर्ण कर या उसके किसी भाग का संदाय करने में असफल रहती है।

प्रस्तावित संशोधन, यथास्थिति, प्रत्येक मास या उस मास के भाग के लिए ब्याज की दर को डेढ़ प्रतिशत से घटाकर सवा प्रतिशत करने के लिए है।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

खंड 52, यूनिट धारकों को वितरित आय पर कर से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115द का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, भारतीय यूनिट ट्रस्ट या किसी पारस्परिक निधि द्वारा अपने यूनिट धारकों को वितरित आय की कोई रकम, यथास्थिति, भारतीय यूनिट ट्रस्ट या किसी पारस्परिक निधि द्वारा संदेय बीस प्रतिशत की समान दर से आय-कर से प्रभार्य होगी।

यह प्रस्ताव है कि पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) और उपधारा (2) का संशोधन किया जाए जिससे कि आय-कर की उक्त दर को विद्यमान बीस प्रतिशत से घटाकर दस प्रतिशत किया जा सके।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

खंड 53, कर के असंदाय के लिए संदेय ब्याज से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115ध का संशोधन करने के लिए है।

विद्यमान उपबंध के अधीन, भारतीय यूनिट ट्रस्ट या किसी पारस्परिक निधि द्वारा संवितरित आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति और, यथास्थिति, भारतीय यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक निधि, यदि वह व्यक्ति या वह धारा 115द में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कर का संदाय करने में असफल रहती है तो प्रत्येक मास या उस मास के भाग के लिए डेढ़ प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगी।

प्रस्तावित संशोधन ब्याज की दर को डेढ़ प्रतिशत से घटाकर, यथास्थिति, प्रत्येक मास या उस मास के भाग के लिए सवा प्रतिशत करने के लिए है।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

खंड 54, आय की विवरणी से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 139 का संशोधन करने के लिए है।

उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, प्रत्येक व्यक्ति से, यदि उसकी कुल आय या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय, जिसकी बाबत वह पूर्ववर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, उस अधिकतम रकम से अधिक हो गई थी, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, ऐसी आय की विहित प्ररूप में और रीति से एक विवरणी नियत तारीख को या उसके पूर्व फाइल करना अपेक्षित है।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो कंपनी है, अपनी आय की एक विवरणी नियत तारीख को या उसके पूर्व फाइल करेगा, चाहे पूर्ववर्ष के दौरान उसकी कुल आय, आय-कर से प्रभार्य है या नहीं।

उपधारा (1) के पहले परंतुक में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, किसी ऐसे व्यक्ति से भी, जो उक्त उपधारा के अधीन विवरणी नहीं दे रहा है और ऐसे क्षेत्र में निवास कर रहा है, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय उस परंतुक में विनिर्दिष्ट छह शर्तों में से किसी एक को पूरा करता है, पूर्ववर्ष के दौरान अपनी आय की एक विवरणी विहित प्ररूप में और रीति से, नियत तारीख को या उसके पूर्व देना अपेक्षित है।

यह प्रस्ताव है कि उसी मानदंड को रखा जाए जो उपधारा (1) के पहले परंतुक में वर्णित हैं।

उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 1 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो कंपनी है, नियत तारीख, निर्धारण वर्ष की 30 नवम्बर विनिर्दिष्ट की गई है और जहां निर्धारिती कंपनी से भिन्न कोई व्यक्ति है वहां, (क) ऐसी किसी दशा में, जिसमें निर्धारिती के लेखे लेखापरीक्षित किए जाने के लिए अपेक्षित हैं या जहां लेखाकार की रिपोर्ट दी जानी अपेक्षित है, नियत तारीख, किसी निर्धारण वर्ष की 31 अक्तूबर; (ख) ऐसी किसी दशा में, जो ऊपर (क) के अंतर्गत आने वाली दशा नहीं है, जिसमें कुल आय के अंतर्गत कारबार या वृत्ति से आय भी है, निर्धारण वर्ष की 31 अगस्त; और किसी अन्य दशा में, निर्धारण वर्ष की 30 जून विनिर्दिष्ट की गई है।

यह प्रस्ताव है कि विभिन्न वर्गों के निर्धारितियों द्वारा विवरणियां फाइल करने के लिए नियत तारीखों को पुनरीक्षित किया जाए और यह उपबंध किया जाए कि किसी कंपनी की दशा में, विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख, निर्धारण वर्ष की 31 अक्तूबर होगी। उपधारा (1) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट, कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में, विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख, निर्धारण वर्ष की 31 अक्तूबर होगी। किसी अन्य निर्धारिती की दशा में, विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख निर्धारण वर्ष की 31 जुलाई होगी।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप में 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2001-2002 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 55, स्थायी लेखा संख्यांक से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 139क का संशोधन करने के लिए है।

उपधारा (5) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, प्रत्येक व्यक्ति किसी आय-कर प्राधिकारी को अपनी सभी विवरणियों या उसके साथ पत्र-व्यवहार में, इस अधिनियम के अधीन देय किसी राशि के संदाय के लिए सभी चालानों में और ऐसे संव्यवहारों से संबंधित सभी दस्तावेजों में, जो बोर्ड द्वारा राजस्व के हित में विहित किए जाएं और जो उसके द्वारा किए जाएं, अपने स्थायी लेखा संख्यांक का हवाला देगा।

एक नई उपधारा (5क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने ऐसी कोई राशि या आय या रकम प्राप्त की है जिससे अध्याय 17ख के उपबंधों के अधीन कर की कटौती की गई है, उस व्यक्ति को अपना स्थायी लेखा संख्यांक संसूचित करेगा जो उस अध्याय के अधीन ऐसे कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी है। यह अपेक्षा धारा 115कग या धारा 115खखक में निर्दिष्ट किसी अनिवासी को और धारा 115छ में निर्दिष्ट किसी अनिवासी भारतीय को लागू नहीं होगी जिसके लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी देना आवश्यक नहीं है।

एक नई उपधारा (5ख) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां अध्याय 17ख के अधीन कर की कटौती करने के पश्चात् किसी राशि या आय या रकम का संदाय किया गया है वहां उस अध्याय के अधीन कर की कटौती करने वाला प्रत्येक व्यक्ति धारा 203 के उपबंधों के अनुसार दिए गए सभी प्रमाणपत्रों में और धारा 206 के उपबंधों के अनुसार तैयार की गई या परिदत्त या परिदत्त की जाने वाली सभी विवरणियों में, उस व्यक्ति का, जिसको धारा 192 की उपधारा (2ग) के उपबंधों के अनुसार दिए गए किसी विवरण में ऐसी राशि या आय या रकम का उसके द्वारा संदाय किया गया है, स्थायी लेखा संख्यांक का हवाला देगा।

दो परंतुकों को यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि, तथापि, केंद्रीय सरकार को पृथक् रूप से तारीखों को अधिसूचित करने की शक्ति है जिससे ये उपबंध किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों की बाबत लागू होंगे और प्रस्तावित उपधारा (5क) और उपधारा (5ख) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में लागू नहीं होंगी, जिसकी कुल आय, आय-कर से प्रभार्य नहीं है अथवा जिससे इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन स्थायी लेखा संख्यांक अभिप्राप्त करना अपेक्षित नहीं है, यदि ऐसा व्यक्ति कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को धारा 197क में निर्दिष्ट इस आशय की घोषणा, उसके अधीन विहित प्ररूप और रीति से देता है कि उस वित्तीय वर्ष की, जिससे ऐसी आय संबंधित है, उसकी कुल अनुमानित आय पर कर शून्य होगा।

एक नई उपधारा (5ग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि धारा 206ग में निर्दिष्ट प्रत्येक क्रेता उस धारा में निर्दिष्ट विक्रेता को अपना स्थायी लेखा संख्यांक संसूचित करेगा।

एक नई उपधारा (5घ) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 206ग के उपबंधों के अनुसार कर का संग्रहण करने वाला प्रत्येक विक्रेता, उस धारा में निर्दिष्ट प्रत्येक क्रेता के, धारा 206ग की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार दिए गए सभी प्रमाणपत्रों में और धारा 206ग की उपधारा (5क) या उपधारा (5ख) के उपबंधों के अनुसार तैयार की गई और किसी आय-कर प्राधिकारी को परिदत्त या परिदत्त की जाने वाली सभी विवरणियों में स्थायी लेखा संख्यांक का हवाला देगा।

ये संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होंगे।

खंड 56, स्वतः निर्धारण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 140क का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (1क) यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि धारा 234क के अधीन संदेय ब्याज की संगणना विवरणी में घोषित कुल आय पर कर की रकम पर की जाएगी जिसमें से संदत्त अग्रिम कर, यदि कोई है, और स्रोत पर कटौती किया गया या संगृहीत कोई कर घटा दिया जाएगा।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (1ख) यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है कि धारा 234ख के अधीन संदेय ब्याज की संगणना, यथास्थिति, निर्धारित कर पर या उस रकम पर, जिस तक संदत्त अग्रिम कर निर्धारित कर से कम आता है, की जाएगी।

नई उपधारा (1ख) में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे कि यह स्पष्ट किया जा सके कि धारा 140क के अधीन यथाअपेक्षित धारा 234ख के अधीन संदेय ब्याज की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, "निर्धारित कर" से, विवरणी में घोषित कुल आय पर वह कर अभिप्रेत होगा जिसमें से, किसी ऐसी आय पर, जो ऐसी कटौती या संग्रहण के अधीन है और जिसे ऐसी कुल आय की संगणना करने में हिसाब में लिया जाता है, अध्याय 17 के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कटौती किए गए या संगृहीत कर की रकम घटा दी जाएगी।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप में 1 अप्रैल, 1989 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 1989-1990 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 57, निर्धारण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 143 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1), अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करती है कि निर्धारिती को ऐसे मामलों में सूचना भेजी जाएगी जहां कोई कर या ब्याज उसके द्वारा फाइल की गई विवरणी के आधार पर, उसके द्वारा संदेय पाया जाता है या उससे कोई प्रतिदाय शोध्य है। तथापि, उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, ऐसी कोई सूचना उस निर्धारण वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष के अवसान के पश्चात्‌ नहीं भेजी जाएगी जिसमें आय पहली बार निर्धारणीय थी।

यह प्रस्ताव है कि उपधारा (1) के दूसरे परंतुक का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जाए कि ऐसी कोई सूचना, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष के अवसान के पश्चात्‌ नहीं भेजी जाएगी जिसमें आय की विवरणी दी जाती है। तथापि, दो वर्ष की समय-सीमा, निर्धारण वर्ष 1999-2000 के लिए पहले ही दी गई विवरणियों की बाबत लागू होती रहेगी।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

खंड 58, आय-कर अधिनियम की धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने के लिए समय की सीमा से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 149 का संशोधन करने के लिए है।

उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, धारा 148 के अधीन सूचना सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार, सात या दस वर्ष की अवधि के भीतर जारी की जा सकती है। कोई ऐसा निर्धारण, जिसे पहले ही पूरा किया जा चुका है, सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष की अवधि तक उक्त उपधारा के अधीन सूचना जारी करके पुनः खोला जा सकेगा। चार वर्ष से परे किसी अवधि के लिए किंतु सात वर्ष तक, ऐसी सूचना उस दशा में जारी की जा सकेगी जब छूट गई आय की रकम पचास हजार रुपए से कम न हो किंतु एक लाख रुपए से अधिक न हो। जहां छूट गई आय की रकम एक लाख रुपए या उससे अधिक होने की संभावना है वहां सूचना सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से दस वर्ष तक जारी की जा सकेगी।

यह प्रस्ताव है कि उपधारा (1) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जाए कि धारा 148 के अधीन सूचना सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष के भीतर या सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से छह वर्ष के भीतर केवल उन मामलों में जारी की जा सकती है जिनमें कर से प्रभार्य आय की रकम, जो निर्धारण से छूट गई है, उस वर्ष के लिए एक लाख रुपए या उससे अधिक है या होनी संभाव्य है।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

खंड 59, निर्धारणों और पुनर्निर्धारणों को पूरा करने के लिए परिसीमा से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 153 का संशोधन करने के लिए है।

उपधारा (2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, निर्धारण या पुनर्निर्धारण या पुनः संगणना का कोई आदेश उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें धारा 148 के अधीन सूचना की तामील की गई थी, दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌ धारा 147 के अधीन नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उपधारा (2क) में यह उपबंध है कि धारा 146 के अधीन नए निर्धारण का आदेश, या धारा 250, धारा 254, धारा 263 या धारा 264 के अधीन किसी निर्धारण को अपास्त या रद्द करने वाले किसी आदेश के अनुसरण में उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें, यथास्थिति, धारा 146 के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण को रद्द करने का आदेश पारित किया जाता है या धारा 250 या धारा 254 के अधीन आदेश मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है या, यथास्थिति, धारा 263 या धारा 264 के अधीन आदेश मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा पारित किया जाता है, दो वर्ष की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय किया जा सकेगा।

उपधारा (2) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि निर्धारण या पुनर्निर्धारण या पुनःसंगणना का कोई आदेश धारा 147 के अधीन उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें धारा 148 के अधीन सूचना की तामील की गई थी, एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा। तथापि, जहां धारा 148 के अधीन सूचना की तामील, 1 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात्‌, किंतु 1 अप्रैल, 2000 के पूर्व की गई है वहां ऐसा निर्धारण, पुनर्निर्धारण या पुनःसंगणना 31 मार्च, 2002 तक किसी भी समय की जा सकेगी।

उपधारा (2क) को यह उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापित करने का और प्रस्ताव है कि धारा 250, धारा 254, धारा 263 या धारा 264 के अधीन किसी निर्धारण को अपास्त या रद्द करने वाले किसी आदेश के अनुसरण में नए निर्धारण का कोई आदेश उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 250 या धारा 254 के अधीन आदेश प्राप्त किया जाता है या धारा 263 या धारा 264 के अधीन मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा आदेश पारित किया जाता है, एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी समय किया जा सकेगा। तथापि, जहां, यथास्थिति, कोई ऐसा आदेश 1 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात्‌ किंतु 1 अप्रैल, 2000 के पूर्व प्राप्त किया जाता है या पारित किया जाता है वहां नए निर्धारण का कोई आदेश 31 मार्च, 2002 तक किसी भी समय किया जा सकेगा।

उपधारा (3) के खंड (i) का लोप करने का भी प्रस्ताव है, जो पारिणामिक प्रकृति का है।

ये संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होंगे।

खंड 60, भूल सुधार से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 154 का संशोधन करने के लिए है।

विद्यमान उपबंध के अधीन, धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश का कोई संशोधन या कोई संसूचना, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष के अवसान के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा, जिसमें ऐसा आदेश, जिसका संशोधन चाहा गया है, पारित किया गया था।

यह प्रस्ताव है कि एक नई उपधारा (8) यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित की जाए कि जहां इस धारा के अधीन संशोधन के लिए कोई आवेदन निर्धारिती द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी को 1 जून, 2001 को या उसके पश्चात्‌ किया जाता है वहां वह प्राधिकारी उस मास की, जिसमें उसके द्वारा आवेदन प्राप्त किया जाता है, समाप्ति से छह मास की अवधि के भीतर या तो संशोधन करने या संशोधन का दावा अनुज्ञात करने से इंकार करने वाला आदेश पारित करेगा।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

खंड 61, परिभाषाओं से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 158ख का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा के खंड (क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, "ब्लाक अवधि" पद से उस पूर्ववर्ष के पूर्ववर्ती दस निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्ष अभिप्रेत है, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी ली गई थी या धारा 132क के अधीन कोई अध्यपेक्षा की गई थी और इसके अंतर्गत उस पूर्ववर्ष में, जिसमें ऐसी तलाशी ली गई थी या अध्यपेक्षा की गई थी, यथास्थिति, तलाशी के प्रारंभ की तारीख तक या ऐसे अध्यपेक्षा की तारीख तक की अवधि सम्मिलित है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त खंड (क) प्रतिस्थापित किया जाए जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि "ब्लाक अवधि" पद से उस पूर्ववर्ष के पूर्ववर्ती छह निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्ष अभिप्रेत है जिसमें तलाशी ली गई थी या कोई अध्यपेक्षा की गई थीं। ऐसे मामलों में, जहां 1 जून, 2001 से पूर्व तलाशी ली गई थी या अध्यपेक्षा की गई थी वहां ब्लाक अवधि विद्यमान उपबंधों के अनुसार दस निर्धारण वर्ष बनी रहेगी।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

खंड 62, कतिपय मामलों में ब्याज और शास्ति का उद्ग्रहण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 158खचक का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, निर्धारिती, कुल आय की, जिसके अंतर्गत ब्लाक अवधि के लिए अप्रकटित आय भी है, विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए धारा 158खग के खंड (ग) के अधीन अवधारित अप्रकटित आय के संबंध में कर पर प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा का संशोधन किया जाए जिससे कि, यथास्थिति, प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए ब्याज की दर को दो प्रतिशत से घटाकर सवा प्रतिशत किया जा सके।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

खंड 63, वेतन से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 192 में एक नई उपधारा (2ग) अंतःस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि वेतन का संदाय करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, उस व्यक्ति को, जो वेतन प्राप्त करता है, उसको दिए गए वेतन के बदले में, परिलब्धियों या लाभों की विशिष्टियां देते हुए एक विवरण विहित प्ररूप में देगा।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

खंड 64, प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न ब्याज से स्रोत पर आय-कर की कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194क का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (3) के विद्यमान खंड (i) में यह उपबंध है कि उपधारा (1) के अधीन स्रोत पर आय-कर की कटौती ऐसे मामले में की जाएगी जिनमें ब्याज के रूप में आय की रकम पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है। उक्त खंड के नीचे परंतुक में यह उपबंध है कि किसी ऐसी बैंककारी कंपनी या किसी सहकारी सोसाइटी में, जो बैंककारी

के कारबार में लगा हुआ है, सावधिक निक्षेपों की दशा में या किसी आवास वित्त कंपनी के पास निक्षेप की दशा में, आय-कर की कटौती की उक्त सीमा दस हजार रुपए होगी।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि पूर्वोक्त धारा के प्रयोजन के लिए स्रोत पर कर की कटौती की सीमा दो हजार पांच सौ रुपए होगी।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

खंड 65, लाटरी या वर्ग पहेली से जीत से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194ख का संशोधन करने के लिए है।

विद्यमान उपबंध के अधीन किसी व्यक्ति को किसी लाटरी या वर्ग पहेली से पांच हजार रुपए से अधिक रकम की जीत के रूप में संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति उसका संदाय करने के समय प्रवृत्त दर से उस पर आय-कर की कटौती करेगा।

यह प्रस्ताव है कि ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेलों से जीत से भी प्रवृत्त दर से स्रोत पर आय-कर की कटौती की जाए।

यह संशोधन, 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

खंड 66, कमीशन या दलाली से संबंधित आय-कर अधिनिय में नई धारा 194ज का अंतःस्थापन करने के लिए है।

प्रस्तावित नई धारा 194ज के अधीन, ऐसा कोई व्यक्ति, जो की गई सेवाओं के लिए, (जो वृत्तिक सेवाएं नहीं है) या माल के क्रय या विक्रय के अनुक्रम में अथवा किसी आस्ति, मूल्यवान वस्तु या चीज से संबंधित (जो प्रतिभूतियां नहीं है) किसी संव्यवहार के संबंध में किन्हीं सेवाओं के लिए कमीशन या दलाली के रूप में किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा। तथापि, ऐसी कटौती वहां नहीं की जाएगी जहां किसी वित्तीय वर्ष में संदाय की रकम या संदायों की कुल रकम दो हजार पांच सौ रुपए से अधिक नहीं है। नई धारा तब लागू नहीं होगी जब संदाय व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा किया जाता है। "कमीशन या दलाली", "वृत्तिक सेवाएं" और "प्रतिभूतियां" पदों को प्रस्तावित धारा के स्पष्टीकरण में परिभाषित किया जा रहा है।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

खंड 67, भारतीय कंपनी के विदेशी करेंसी बंधपत्रों या शेयरों से आय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 196ग का संशोधन करने के लिए है।

धारा 196ग में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, धारा 115कग में निर्दिष्ट बंधपत्रों या शेयरों की बाबत ब्याज या लाभांश के रूप में अथवा ऐसे बंधपत्रों या शेयरों के अंतरण से उद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में किसी अनिवासी को कोई संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति से दस प्रतिशत की दर से कर की कटौती करना अपेक्षित है।

यह प्रस्ताव है कि विधेयक के खंड 47 द्वारा धारा 115कग प्रतिस्थापित की जाए। इसके परिणामस्वरूप, यह प्रस्ताव है कि "शेयर" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वह धारा 196ग में आता है, "सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीद" शब्द रखे जाएं।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 68, कटौती करने की या संदाय करने की असफलता के परिणाम से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 201 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, उस उपधारा में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, प्रधान अधिकारी और कंपनी, व्यतिक्रम करने वाला निर्धारिती समझा जाएगा यदि वह कर की कटौती नहीं करती है या कटौती करने के पश्चात्‌ उसे इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित रूप में संदत्त करने में असफल रहती है। उस धारा की उपधारा (1क) में यह उपबंध है कि ऐसा व्यक्ति या प्रधान अधिकारी या ऐसी कंपनी उस तारीख से, जिसको ऐसे कर की कटौती की जानी थी, उस तारीख तक जिसको ऐसा कर वास्तव में संदत्त किया गया था, ऐसे कर की रकम पर अठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने की दायी होगी।

यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि उपधारा (1) और उपधारा (1क) के उपबंध लागू होंगे चाहे ऐसा व्यक्ति या ऐसा प्रधान अधिकारी या ऐसी कंपनी संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफल रहती है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप में 1 अप्रैल, 1962 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 1962-63 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

यह और प्रस्ताव है कि उपधारा (1क) में ब्याज की उक्त दर को अठारह प्रतिशत से घटाकर पंद्रह प्रतिशत प्रति वर्ष किया जाए।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

खंड 69, मद्यसारिक लिकर, वनोत्पाद, स्क्रैप, आदि में व्यापार के कारबार से लाभ और अभिलाभ से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 206ग का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (7) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, यदि विक्रेता कर का संग्रहण नहीं करता है या कर का संग्रहण करने के पश्चात्‌ उक्त धारा की अपेक्षानुसार उसका संदाय करने में असफल रहता है तो वह ऐसे कर की रकम पर प्रतिमास या उसके भाग के लिए दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

यह प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा (7) का संशोधन किया जाए जिससे कि उस उपधारा के अधीन विक्रेता द्वारा संदेय कर की रकम पर प्रतिमास या उसके भाग के लिए ब्याज की दर को दो प्रतिशत से घटाकर सवा प्रतिशत किया जा सके।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

खंड 70, कर कब संदेय होगा और निर्धारिती कब व्यतिक्रमी समझा जाएगा, के बारे में आय-कर अधिनियम की धारा 220 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, यदि धारा 156 के अधीन किसी मांग की सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का, सूचना की तामील के तीस दिन के भीतर संदाय नहीं किया जाता है तो निर्धारिती उस धारा में विनिर्दिष्ट कालावधियों में समाविष्ट प्रत्येक मास या किसी मास के भाग के लिए डेढ़ प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

प्रस्तावित संशोधन ब्याज की दर को प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए डेढ़ प्रतिशत से घटाकर सवा प्रतिशत करने के लिए है।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

खंड 71, कतिपय दशाओं में स्थावर संपत्ति के अंतरणों के रजिस्ट्रीकरण पर निर्बन्धन से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 230क का लोप करने के लिए है।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंध के अधीन, पांच लाख रुपए से अधिक की मूल्यांकित किसी संपत्ति पर या उसके लिए किसी व्यक्ति के अधिकार, हक या हित का अंतरण, समनुदेशन, परिसीमन या निर्वापन के लिए तात्पर्यित कोई दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि निर्धारण अधिकारी यह प्रमाणित नहीं कर देता है कि ऐसे व्यक्ति ने सभी वर्तमान कर दायित्वों का या तो संदाय कर दिया है या संदाय के लिए समाधानप्रद व्यवस्था कर दी है या दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण से किसी वर्तमान कर दायित्व की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

खंड 72, आय की विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज के संदाय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 234क का संशोधन करने के लिए है।

धारा 234क की उपधारा (1) और उपधारा (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, निर्धारिती उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए आय की विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए डेढ़ प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा की उपधारा (1) और उपधारा (3) का ब्याज की दर को, यथास्थिति, प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए डेढ़ प्रतिशत से घटाकर सवा प्रतिशत करने के लिए संशोधन किया जाए।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

यह और प्रस्ताव है कि उक्त धारा की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 4 का लोप किया जाए, जो पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप में 1 अप्रैल, 1989 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 1989-90 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 73, अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 234ख का संशोधन करने के लिए है।

विद्यमान उपबंध के अधीन, निर्धारिती उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए डेढ़ प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी है।

यह प्रस्ताव है कि, यथास्थिति, ब्याज की दर को प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए डेढ़ प्रतिशत से घटाकर सवा प्रतिशत किया जाए।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

यह और प्रस्ताव है कि उक्त धारा की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 1 को प्रतिस्थापित किया जाए, जो पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप में 1 अप्रैल, 1989 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 1989-90 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 74, अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 234ग का संशोधन करने के लिए है।

विद्यमान उपबंध के अधीन, निर्धारिती उक्त धारा में विनिर्दिष्ट कमी की रकम पर अग्रिम कर के आस्थगन के लिए प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए डेढ़ प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी है।

प्रस्तावित संशोधन ब्याज की दर को, यथास्थिति, प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए डेढ़ प्रतिशत से घटाकर सवा प्रतिशत करने के लिए है।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

खंड 75, कतिपय दशाओं में प्रतिदाय को रोके रखने की शक्ति से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 241 का लोप करने के लिए है।

विद्यमान उपबंध के अधीन, निर्धारण अधिकारी, मुख्य आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से, निर्धारिती को देय किसी रकम के प्रतिदाय को, यदि प्रतिदाय करने से राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, उक्त धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन उस समय तक रोके रख सकेगा जो मुख्य आयुक्त या आयुक्त अवधारित करे।

यह प्रस्ताव है कि प्रतिदाय को रोके रखने के लिए निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों को वापस लेने के लिए उक्त धारा का लोप किया जाए।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

खंड 76, प्रतिदायों पर ब्याज से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 244क का संशोधन करने के लिए है।

उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, जहां आय-कर अधिनियम के अधीन किसी रकम का प्रतिदाय निर्धारिती को देय हो जाता है वहां निर्धारिती उक्त रकम के अतिरिक्त, उस पर एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज, उक्त धारा में विनिर्दिष्ट विलंब की अवधि में समाविष्ट प्रत्येक मास या किसी मास के भाग के लिए प्राप्त करने का हकदार होगा।

यह प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा का संशोधन किया जाए जिससे कि ब्याज की दर को, यथास्थिति, प्रत्येक मास या किसी मास के भाग के लिए एक प्रतिशत से घटाकर तीन बटा चार प्रतिशत कर दिया जाए।

यह संशोधन 1जून, 2001 से प्रभावी होगा।

खंड 77, आयुक्त (अपील) की शक्तियों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 251 का संशोधन करने के लिए है।

उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, जहां अपील, निर्धारण के आदेश के विरुद्ध आयुक्त (अपील) के समक्ष की जाती है वहां आयुक्त (अपील) निर्धारण की पुष्टि कर सकेगा, उसे घटा सकेगा या बढ़ा सकेगा या बातिल कर सकेगा अथवा वह निर्धारण को अपास्त कर सकेगा और उसके द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार और ऐसी अतिरिक्त जांच करने के पश्चात्, जैसी आवश्यक हो, नए सिरे से निर्धारण करने के लिए मामले को पुनः निर्धारण अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा।

निर्धारण को शीघ्र अंतिम रूप देने में और मुकदमा की प्रक्रिया को लंबा खिंचने से बचने के लिए सहायता करने की दृष्टि से यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा के खंड (क) का संशोधन किया जाए जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां निर्धारण के आदेश के विरुद्ध आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील फाइल की जाती है वहां आयुक्त (अपील) निर्धारण को अपास्त नहीं कर सकेगा या निर्धारण नए सिरे से करने के लिए मामला निर्धारण अधिकारी को लौटा नहीं सकेगा।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

खंड 78, अपील अधिकरण के आदेशों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 254 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (2क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, अपील अधिकरण, जहां संभव हो, उस वित्तीय वर्ष की, जिसमें अपील फाइल की गई है, समाप्ति से चार वर्ष की अवधि के भीतर धारा 253 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा फाइल की गई ऐसी अपील की सुनवाई और उसका विनिश्चय करेगा।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां निर्धारिती द्वारा फाइल की गई किसी अपील में, अपील अधिकरण रोक लगाने वाला आदेश पारित करता है वहां वह अधिकरण रोक लगाने वाले ऐसे आदेश को पारित करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर उस अपील की सुनवाई करेगा और उसका विनिश्चय करेगा जिसके न हो सकने पर लगाई गई रोक पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति पर रद्द हो जाएगी।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

खंड 79, अन्य आदेशों के पुनरीक्षण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 264 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, आयुक्त या तो स्वप्रेरणा से या पुनरीक्षण के लिए निर्धारिती द्वारा किए गए आवेदन पर, अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश का पुनरीक्षण कर सकेगा। उक्त धारा की उपधारा (5) यह उपबंध करती है कि इस धारा के अधीन पुनरीक्षण के लिए निर्धारिती द्वारा प्रत्येक आवेदन के साथ पच्चीस रुपए की फीस संलग्न की जाएगी।

यह प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा का, फीस को पच्चीस रुपए से बढ़ाकर पांच सौ रुपए करने के लिए संशोधन किया जाए।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

खंड 80, विवरणियां न देना, सूचनाओं का अनुपालन न करना, आय का छिपाना, आदि से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 271 का संशोधन करने के लिए है।

उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन यदि आय-कर अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन सूचना का अनुपालन करने में असफल हो गया है या उक्त अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन जारी किए गए निदेश का अनुपालन करने में असफल हो जाता है तो वह यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में उसके द्वारा संदेय किसी कर के अतिरिक्त ऐसी राशि का, जो ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए एक हजार रुपए से कम नहीं होगी, किंतु पच्चीस हजार रुपए तक की हो सकेगी, संदाय करेगा।

उपधारा (1) के खंड (ii) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि प्रत्येक ऐसी असफलता के लिए दस हजार रुपए की शास्ति की नियत रकम का उपबंध किया जा सके।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

विधेयक के खंड 44 में किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से उद्‌भूत आय की संगणना करने से संबंधित धारा 92 के स्थान पर नई धारा 92 रखने और नई धारा 92क, धारा 92ख, धारा 92ग, धारा 92घ, धारा 92ङ और धारा 92च अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है।

यह प्रस्ताव है कि धारा 271 की उपधारा (1) में एक नया स्पष्टीकरण 7 यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित किया जाए कि जहां किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में, जिसने धारा 92ख में परिभाषित कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है, धारा 92ग की उपधारा (4) और उपधारा (2) के अधीन कुल आय की संगणना करने में कोई रकम जोड़ी जाती है या अननुज्ञात की जाती है, वहां इस प्रकार जोड़ी गई या अननुज्ञात की गई रकम को उस आय के रूप में समझा जाएगा जिसकी बाबत विशिष्टियां छिपाई गई हैं या गलत विशिष्टियां दी गई हैं। तथापि, इस स्पष्टीकरण के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां निर्धारिती निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि ऐसे संव्यवहार में प्रभारित या संदत्त कीमत का अवधारण सद्भावपूर्वक और सम्यक् तत्परता से धारा 92ग के अनुसार किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 81, लेखा पुस्तकें, दस्तावेज, आदि रखने, बनाए रखने या रखे जाने में असफलता से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 271क का संशोधन करने के लिए है।

विद्यमान उपबंध के अधीन, यदि कोई व्यक्ति धारा 44कक या उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षानुसार किसी पूर्ववर्ष की बाबत ऐसी लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेजें, रखने और बनाए रखने या उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ऐसी लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेजें प्रतिधारित करने में असफल हो जाता है तो निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में ऐसी राशि का संदाय करेगा जो दो हजार रुपए से कम की नहीं होगी किंतु जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी।

यह प्रस्ताव है कि ऐसी राशि की, जो दो हजार रुपए से कम की नहीं होगी किंतु एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, शास्ति के बजाय पच्चीस हजार रुपए की शास्ति की नियत रकम के उद्‌ग्रहण का उपबंध किया जाए।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

खंड 82, अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों के संबंध में सूचना और दस्तावेजों के रखने और बनाए रखने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित आय-कर अधिनियम की नई धारा 271कक अंतःस्थापित करने के लिए है।

नई धारा यह उपबंध करने के लिए है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने धारा 92ख में परिभाषित रूप में कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है, धारा 92घ की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन सूचना और दस्तावेज रखने और बनाए रखने में असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर राशि का शास्ति के रूप में, संदाय करेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 83, धारा 92ङ के अधीन लेखाकार की रिपोर्ट देने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 271खक अंतःस्थापित करने के लिए है।

नई धारा यह उपबंध करने के लिए है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 92ङ की अपेक्षानुसार लेखाकार की रिपोर्ट देने में असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति एक लाख रुपए की राशि का शास्ति के रूप में संदाय करेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 84, विवरणियां देने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 271च का संशोधन करने के लिए है।

विद्यमान उपबंध के अधीन, यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित अपनी आय की विवरणी देना अपेक्षित है, ऐसी विवरणी सुसंगत निर्धारण वर्ष के समाप्त होने के पूर्व देने में असफल हो जाता है तो वह एक हजार रुपए की राशि का शास्ति के रूप में संदाय करने का दायी होगा।

इसके अतिरिक्त, यदि कोई व्यक्ति, जिसे धारा 139 की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा यथा अपेक्षित अपनी आय की विवरणी देना अपेक्षित है, नियत तारीख को या उसके पूर्व ऐसी विवरणी देने में असफल रहता है तो वह पांच सौ रुपए की राशि का शास्ति के रूप में संदाय करने का दायी होगा।

यह प्रस्ताव है कि उक्त शास्तियों को क्रमशः एक हजार रुपए से बढ़ाकर पांच हजार रुपए और पांच सौ रुपए से बढ़ाकर पांच हजार रुपए किया जाए।

ये संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होंगे।

खंड 85, धारा 92घ के अधीन कतिपय जानकारी या दस्तावेज देने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 271छ अंतःस्थापित करने के लिए है।

नई धारा यह उपबंध करने के लिए है कि यदि कोई व्यक्ति, जिसने कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है, धारा 92घ की उपधारा (3) के अधीन ऐसी कोई जानकारी या दस्तावेज देने में असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर राशि का, शास्ति के रूप में, संदाय करेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 86, प्रश्नों का उत्तर देने, कथन पर हस्ताक्षर करने, जानकारी, विवरणियां या कथन देने, निरीक्षण अनुज्ञात करने आदि में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 272क का संशोधन करने के लिए है।

उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, यदि कोई व्यक्ति, उसमें विनिर्दिष्ट किसी अपेक्षा का पालन करने में असफल रहता है तो वह शास्ति के रूप में ऐसी राशि का, जो प्रत्येक ऐसे व्यतिक्रम या असफलता के लिए पांच सौ रुपए से कम नहीं होगी किंतु दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, संदाय करने का दायी होगा।

उक्त उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि प्रत्येक ऐसे व्यतिक्रम या असफलता के लिए दस हजार रुपए की शास्ति की नियत रकम का उपबंध किया जा सके।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

यह और प्रस्ताव है कि उपधारा (2) में एक नया खंड (i) अंतःस्थापित किया जाए जिससे कि किसी कर्मचारी को दिए गए वेतन के बदले में परिलब्धियां या लाभों की सही और पूर्ण विशिष्टियां देते हुए विवरण देने में असफलता के लिए शास्ति का उपबंध किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा।

खंड 87, धारा 203क के उपबंधों के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 272खख का संशोधन करने के लिए है।

उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, यदि कोई व्यक्ति धारा 203क के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो वह निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश पर शास्ति के रूप में उतनी राशि का संदाय करेगा, जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगी।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि शास्ति को बढ़ाया जा सके और दस हजार रुपए की राशि की शास्ति की नियत रकम के उद्ग्रहण के लिए उपबंध किया जा सके।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

खंड 88, कुछ दशाओं में शास्ति का अधिरोपित किया जाना, से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 273ख का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंध में यह उपबंध है कि, यथास्थिति, किसी व्यक्ति या निर्धारिती पर उक्त धारा में विनिर्दिष्ट कतिपय धाराओं में निर्दिष्ट किसी असफलता के लिए कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि ऐसी असफलता के लिए युक्तियुक्त हेतुक था।

विधेयक के खंड 82, खंड 83 और खंड 85, किसी व्यक्ति की ओर से, जिसने प्रस्तावित नई धारा 92ख में परिभाषित कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है, यथास्थिति ऐसी जानकारी और दस्तावेज रखने और बनाए रखने में किसी लेखाकार की रिपोर्ट देने या निर्धारण अधिकारी द्वारा अपेक्षित जानकारी या दस्तावेज देने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित आय-कर अधिनियम में धारा 271कक, धारा 271खक और धारा 271छ अंतःस्थापित करने के लिए है।

यह प्रस्ताव है कि धारा 273ख का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जाए कि, यथास्थिति, किसी व्यक्ति या निर्धारिती पर धारा 271कक, धारा 271खक और धारा 271छ में निर्दिष्ट किसी असफलता के लिए कोई शास्ति अधिरोपित नहीं होगी यदि वह यह साबित कर देता है कि ऐसी असफलता के लिए युक्तियुक्त हेतुक था। प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 89, व्यतिक्रमी से शोध्य रकम की तुष्टि में संपत्ति के प्रतिग्रहण से संबंधित आय-कर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के नियम 68(क) का संशोधन करने के लिए है।

उक्त नियम के उपनियम (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, जहां उपनियम (1) के अधीन निर्धारण अधिकारी और व्यतिक्रमी के बीच संपत्ति की करार पाई गई कीमत, व्यतिक्रमी से शोध्य रकम से अधिक है वहां निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसा आधिक्य व्यतिक्रमी को निर्धारण अधिकारी को संपत्ति के कब्जे के परिदान की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर संदत्त किया जाएगा और जहां निर्धारण अधिकारी पूर्वोक्त कालावधि के भीतर ऐसे आधिक्य का संदाय करने में असफल रहता है वहां केन्द्रीय सरकार से विलंबित कालावधि के लिए ऐसी रकम पर व्यतिक्रमी को बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने की अपेक्षा की जाती है।

उपनियम (3) का संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जिससे कि उस ब्याज की दर को जो उस उपनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा संदेय है, बारह प्रतिशत से घटाकर नौ प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया जाए।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।